

# लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र  
(तेरहवीं लोक सभा)



(खण्ड 22 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय  
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

## सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा  
महासचिव  
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु  
संयुक्त सचिव

पी०सी० चौधरी  
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद  
मुख्य सम्पादक

डा० राम नरेश सिंह  
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त  
सम्पादक

---

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

## विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 22, नौवां सत्र, 2002/1923 (शक)]

अंक 3, गुरुवार, 28 फरवरी, 2002/9 फाल्गुन, 1923 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण . . . . .	4
सामान्य बजट, 2002-2003	
श्री यशवन्त सिन्हा . . . . .	4-50
वित्त विधेयक, 2002 . . . . .	51
साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से अनेक यात्रियों की मौत से उत्पन्न स्थिति के बारे में	
श्री लाल कृष्ण आडवाणी . . . . .	51-56

## लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

[अनुवाद]

गुरुवार, 28 फरवरी, 2002/9 फाल्गुन, 1923 (शक)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

(व्यवधान)\*

[अध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

(इस समय श्री राम नगीना मिश्र तथा श्री विनय कटियार आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

(व्यवधान)\*

(व्यवधान)

[हिन्दी]

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्लीज आप अपनी सीट पर जाइए। बजट के बाद आपको सुनेंगे।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, वहां 57 लोग जिंदा जलाये गये हैं। . . (व्यवधान) 25 लोग पहले जलाये गये हैं। . . (व्यवधान) 15 बालक जलाये गये। . . (व्यवधान) साम्प्रदायिकता का नारा देने वाले आज क्यों खामोश बैठे हैं। . . (व्यवधान) श्री दास मुंशी जी क्यों खामोश बैठे हैं? . . (व्यवधान)

(व्यवधान)

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(इस समय श्री विनय कटियार सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गए।)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : महोदय, हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी वक्तव्य दें। . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बजट प्रस्तुत होने के बाद मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अपने स्थान पर जाइए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : धर्मनिरपेक्षता की बात कहने वाले आज क्यों खामोश हैं? . . (व्यवधान)

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमने होम मिनिस्टर से इस बारे में कहा है। बजट प्रेजेंटेशन के बाद इस पर रिएक्शन आ जायेगा।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बजट के बाद आपको सुनेंगे। अभी बजट प्रेजेंटेशन होने दें। बाद में आपको सुनेंगे। प्लीज अपनी सीट पर जाएँ।

[अनुवाद]

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम शांति और प्रेम का समर्थन करते हैं। हम हिंसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सरकार इस सभा में वक्तव्य दे। . . (व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : हिन्दुओं को संरक्षण दो। . . (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : टीवी टैलिकास्टिंग को बंद करें।

(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : धर्मनिरपेक्षता की बात कहने वाले आज क्यों खामोश हैं? . . (व्यवधान)

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : ये विपक्ष वाले आज खामोश क्यों हैं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम खामोश कहां हैं। . . (व्यवधान) हम इसे कंडम करते हैं। . . (व्यवधान) हम इस पर सरकार से बयान मांगते हैं। . . (व्यवधान) आप कैसी बात करते हैं। . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइये। आपको कह रहे हैं कि बजट के बाद आपको सुनेंगे।

(व्यवधान)

\*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी को वक्तव्य देने दें। उन्हें वक्तव्य देने दें। . . .(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.08 बजे

(इस समय श्री राम नगीना मिश्र तथा विनय कटियार अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : मैंने गृह मंत्री जी से पहले ही कह दिया है कि वह बजट प्रस्तुत होने के बाद वक्तव्य दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह संक्षिप्त वक्तव्य देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदय, बजट बाद में होगा। . . .(व्यवधान) देश की जनता के जीवन की सुरक्षा से बढ़कर और कोई विषय नहीं हो सकता। . . .(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी, आप बजट प्रस्तुत होने के बाद वक्तव्य दे सकते हैं।

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : वह बजट प्रस्तुत होने के बाद वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। . . .(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, हमने काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दे रखा है . . .(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.10 बजे

[अनुवाद]

सदस्यों द्वारा शपथग्रहण

अध्यक्ष महोदय : अब महासचिव हाल ही में हुए उप-चुनावों में नवनिर्वाचित सदस्यों के नाम शपथ ग्रहण करने या प्रतिज्ञान करने के लिए पुकारेंगे।

श्री दीप गोगोई (कलियाबोर)

श्री एच०डी० देव गौडा (कनकपुरा)

श्री ज्योतिरादित्य माघवराव सिंधिया (गुना)

पूर्वाह्न 11.13 बजे

[अनुवाद]

सामान्य बजट, 2002-2003

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं वर्ष 2002-2003 का बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।

सहस्राब्दि का यह पहला वर्ष 2001 अनेक दुःखद घटनाओं का साक्षी रहा है और अनेक चुनौतियों से पूर्ण रहा है। इसकी शुरुआत 26 जनवरी को गुजरात के भूकंप से हुई थी और 13 दिसंबर को हमारी संसद पर आतंकवादी हमले, 11 सितंबर को अमरीका की घटना और एक अक्टूबर को श्रीनगर की नृशंस घटना के साथ इसका समापन हुआ। मैं सुरक्षा बलों के उन बहादुर जवानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने इस संसद की रक्षा की और महान बलिदान किया। आर्थिक मोर्चे पर भी यह एक कठिन वर्ष रहा है। लगातार सात वर्षों की उच्च वृद्धि के बाद 2001 में विश्व आर्थिक वृद्धि कम होकर 2.4 प्रतिशत पर आने का अनुमान किया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय रूप से भयंकर आतंकवाद और साथ ही साथ भूमंडलीय आर्थिक मंदी गत वर्ष की सर्वाधिक दुःखद विशेषता रही है।

आर्थिक परिदृश्य

प्रतिकूल आर्थिक एवं सुरक्षा परिवेश के बावजूद अर्थव्यवस्था का निष्पादन इस वर्ष अपेक्षतया अच्छा रहा है। पिछले दो वर्षों के अनियमित मानसून के बाद इस वर्ष के अपेक्षाकृत अच्छे मानसून के कारण कृषि की स्थिति में सुधार हुआ। इस वर्ष आर्थिक वृद्धि लगभग 5.4 प्रतिशत होने की आशा की जाती है क्योंकि उच्चतर वृद्धि औद्योगिक मंदी के कारण बाधित रही है। अर्थव्यवस्था के मूल तत्व सृद्ध रहे हैं, मुद्रास्फीति दर गिरकर 1.1 प्रतिशत के रिकार्ड स्तर पर पहुंची है, विदेशी मुद्रा

प्रारक्षित भंडार 50 बिलियन अमरीकी डालर की सीमा पार कर गया है और हमारा खाद्यान्न भंडार बढ़कर लगभग 60 मिलियन टन पर पहुंच गया है। पेट्रोलियम की कीमतों में गिरावट ने समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को और राहत पहुंचाई है।

यद्यपि देश आर्थिक रूप से सुरक्षित है परंतु अर्थव्यवस्था को वृद्धि की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं जिनका विस्तृत उल्लेख 26 फरवरी को इस सदन के सामने प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा में किया गया है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए मेरा प्रयत्न एक बजट कार्यनीति तैयार करने का है।

### बजट कार्यनीति

मैंने अपने पिछले बजट में आर्थिक सुधारों की दूसरी पीढ़ी की एक व्यापक कार्यसूची प्रस्तुत की थी। मैंने कर सुधारों को भी व्यापक बनाया था जिनका उद्देश्य देश में आधुनिक कर प्रणाली प्रदान करना था। इस वर्ष मेरा उद्देश्य सभी स्तरों पर इन नीतियों को समेकित एवं कार्यान्वित करने का है। राज्य स्तर पर इस प्रक्रिया को सुधारों से संबद्ध लोक निधि व्यवस्था के द्वारा आगे बढ़ाने का मैं प्रस्ताव करता हूँ।

- अतः बजट की कार्यनीति इस प्रकार होगी :
- कृषि एवं खाद्य अर्थव्यवस्था सुधारों पर निरंतर जोर देना।
- आधारभूत सुविधाओं में सरकारी एवं निजी निवेश को बढ़ाना।
- वित्तीय क्षेत्रक एवं पूंजी बाजारों को सुदृढ़ करना।
- संरचनात्मक सुधारों में तेजी लाना और औद्योगिक वृद्धि उत्पन्न करना।
- गरीबों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर कर सुधारों को सुदृढ़ करना और राजकोषीय समायोजन जारी रखना।

पिछले बजट में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की वर्ष भर काफी गहन रूप से मानीटरिंग की जाती रही है। पिछले वर्ष के बजट पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट संसद के सामने रखने की प्रथा मैंने पिछले वर्ष शुरू की थी। तदनुसार मैं पिछले वर्ष की बजट घोषणाओं पर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसकी कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं : कृषि वस्तुओं पर नियंत्रण हटाना, चीनी पर नियंत्रण हटाने की दिशा में प्रगति, औषधियों के मूल्य नियंत्रण की अवधि में पर्याप्त कमी, रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम समाप्त करने सहित कंपनियों के पुनरुद्धार और/या उनको बंद करने से संबंधित विद्यमान कानून को संशोधित करने का निर्णय, निजीकरण में पर्याप्त प्रगति तथा व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन में प्रगति तथा अतिरिक्त

(सरप्लस) सरकारी कर्मचारियों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम की घोषणा।

यह निर्णय आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस सरकार के संकल्प को प्रदर्शित करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि आम लोगों तक यह लाभ पहुंचे। इसके लिए अच्छे कार्यान्वयन और प्रशासन की आवश्यकता होगी। इन क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए हम ऐसे उपाय करेंगे जिनका उद्देश्य गरीबी समाप्त करना और अपने नागरिकों की जीवन दशाओं में सुधार लाना होगा।

### कृषि और ग्रामीण विकास

#### अविनियमन

हरित क्रांति और उसके बाद श्वेत क्रांति में भारी सफलता प्राप्त करने के बाद हमारा देश अब कृषि की तीसरी क्रांति अर्थात् विविधीकरण और खाद्य प्रसंस्करण, के लिए तैयार है। इसके लिए नीति परिवर्तनों, कृषि अनुसांधान एवं विस्तार पर नए सिरे से जोर देने और एक ऐसे परिवेश की आवश्यकता है जो सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में अधिक निवेश को प्रोत्साहित कर सके। इस नई क्रांति के लिए शेष विनियामक और प्रक्रियात्मक जटिलताएं जो अभी भी विद्यमान हैं, को हटाना तथा उन्नत ग्रामीण अवसंरचना अनिवार्य है। किसान की आजादी हमारी नीति का मूल लक्ष्य है।

यद्यपि कृषि राज्य का विषय है फिर भी केंद्र सरकार की अनेक नीतियां हैं जो इस क्षेत्रक को प्रभावित करती हैं। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रचालन की पुनरीक्षा की है। खाद्य एवं कृषि उत्पादों के भंडारण, बिक्री और लाने ले जाने को रोकने वाले आदेशों को हटाया जा रहा है। अब हम कृषि उत्पादों के लिए देशव्यापी एकीकृत बाजार की आशा कर सकते हैं। इस पहल को जारी रखने के लिए मैं निम्नलिखित रूप से कृषि के संबंध में अनियंत्रण एवं अविनियमन का प्रस्ताव कर रहा हूँ।

- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दशाओं का नियमन जारी रखते हुए नई दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता पर प्रतिबंध हटाने के लिए दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद नियंत्रण आदेश (एमएमपीओ) का संशोधन।
- विभिन्न कृषि उपस्कर मर्दों से संबंधित लघु उद्योग आरक्षणों को हटाना।
- कृषि वस्तुओं के निर्यात को सारणीबद्धता से हटाना और शेष निर्यात नियंत्रण क्रमिक रूप से हटाना।
- सभी कृषि वस्तुओं को शामिल करने के लिये भावी और वायदा व्यापार का विस्तार।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, खाद्य उत्पाद आदेश, मांस उत्पाद आदेश, औद्योगिक मानक ब्यूरो और एम०एम०पी०ओ० के

अधीन खाद्य मानकों के लिये अनेक विनियमों से खाद्य एवं प्रसंस्करण क्षेत्रक प्रभावित हैं। इनके आधुनिकीकरण और एकीकरण की आवश्यकता है। एक आधुनिक एकीकृत खाद्य कानून एवं संबंधित विनियमों को तैयार करने के लिए कानूनी और अन्य परिवर्तनों का प्रस्ताव करने हेतु मंत्रियों के एक दल के गठन का प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है।

किसानों को स्वतंत्रता प्रदान करने की इस प्रक्रिया को अब राज्य सरकारों द्वारा आगे बढ़ाने की जरूरत है। संभावित प्रसंस्करणकर्ताओं को सीधे ही बिक्री करने के लिए किसानों को समर्थ बनाने हेतु कृषि उत्पाद विपणन अधिनियमों के संशोधन से उन्हें बेहतर मूल्य प्राप्त करने और संभावित नए बाजारों में पहुंचने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, ऐसे राज्य नियंत्रण आदेश जो अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए बाधक बने हुए हैं, को हटाने की आवश्यकता है। मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूँ कि केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के संबंध में अतिरिक्त आबंटनों को राज्यों द्वारा कृषि क्षेत्रक के अनियंत्रण एवं अविनियमन से संबद्ध किया जाएगा।

वर्ष 2000-01 में मैंने शीत भंडारों के निर्माण के लिए ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम की घोषणा की थी। मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि शीत भंडारों में 21 लाख टन की क्षमता के निर्माण की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है जो 12 लाख टन के लक्ष्य की तुलना में काफी अधिक है। पिछले साल घोषित ग्रामीण गोदाम स्कीम भी प्रचालन में आ गई है। अनेक नियंत्रण आदेशों को हटाने से इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत काफी अधिक निवेश होगा। तदनुसार मैं वर्ष 2002-03 में सब्सिडी संबद्ध प्रत्येक ऋण स्कीम के लिए 70 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

### कृषि ऋण

कृषि क्षेत्रक के लिए पर्याप्त ऋण मिलता रहे, इसके लिए वित्तमंत्री के रूप में अपने को मैं विशेष रूप से उत्तरदायी समझता हूँ। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी है कि इस वर्ष सांस्थानिक माध्यमों से कृषि क्षेत्रक को मिलने वाले कुल ऋण का लक्षित स्तर 64,000 करोड़ रुपए होने की आशा है। वर्ष 2002-2003 में यह आशा की जाती है कि यह बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। कृषि ऋण की प्राप्ति में आगे सुधार के लिए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ :

ग्रामीण आधार सुविधा विकास निधि (आर आई डी एफ VIII), की धनराशि 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष 5,500 करोड़ रुपए की जाएगी और ब्याज दर 10.5 प्रतिशत से घटाकर 8.5 प्रतिशत की जाएगी। आगे मे यह दर विद्यमान बैंक दर + 2 प्रतिशत पर निर्धारित की जाएगी। आरआईडीएफ से राज्यों को सहायता कृषि और ग्रामीण क्षेत्रकों में सुधारों से संबद्ध की जाएगी।

- किसान क्रेडिट कार्ड : इन्हें वर्ष 1998-99 में शुरू किया गया था जिन्हें अभूतपूर्व सफलता मिली और कृषि ऋण प्राप्त करने में हमारे किसानों को काफी मदद मिली है। 31 दिसंबर, 2001 तक 63 लाख अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं और इस प्रकार कुल 2.07 करोड़ कार्ड जारी हो चुके हैं। किसान क्रेडिट कार्ड संबद्ध व्यक्तिगत बीमा पैकेज भी लागू कर दिया गया है।
- इसी तरह स्व-सहायता समूहों के माध्यम से लघु ऋण स्कीम भी अच्छी चल रही है। चालू वर्ष के दौरान एक लाख अतिरिक्त स्व-सहायता समूह का लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है और 70 लाख परिवारों को शामिल करते हुए यह संख्या 3.5 लाख से अधिक पहुंच गई है जिससे विश्व में यह सबसे बड़ा लघु ऋण कार्यक्रम बन गया है। वर्ष 2002-2003 के लिए मैं यह लक्ष्य बढ़ाकर 1.25 लाख कर रहा हूँ।
- दिनांक 31 मार्च, 1998 की स्थिति के अनुसार 25,000 रुपए तक के बकाया मूलधन वाले छोटे ऋण खातों के लिए एकबारगी भुगतान की स्कीम पहले ही चालू है। छोटे और सीमांत कृषकों के लिए 50,000 रुपए तक के ऋणों को शामिल करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक विशेष एकबारगी भुगतान स्कीम की घोषणा की जाएगी।

### फसल बीमा

राष्ट्रीय कृषि बीमा स्कीम पहले से ही चल रही है। किसानों की आवश्यकताओं को बेहतर रूप से पूरा करने और सक्षम बीमांकित प्रणाली अपनाने के लिए मैं कृषि बीमा के लिए एक नए निगम की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ जिसे विद्यमान सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा चलाया जाएगा।

### सिंचाई

मैं त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए इस वर्ष के 2000 करोड़ रुपए के आबंटन को बढ़ाकर वर्ष 2002-03 में 2800 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। इससे राज्यों को अपनी अपूर्ण, मध्यम और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में मदद मिलेगी और वह उपभोक्ता शुल्कों का संशोधन तथा जल उपभोक्ता संघों की स्थापना के द्वारा सुधार कार्य भी कर सकेंगे।

### कृषि विस्तार एवं अनुसंधान

कृषि के त्वरित विविधीकरण और आधुनिकीकरण के लिए अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं के संबंध में एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। अतः मैं कृषि अनुसंधान के लिए वर्ष 2002-03 में चालू वर्ष

के 684 करोड़ रुपए की तुलना में आबंटन बढ़ाकर 775 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। कृषि अनुसंधान के प्रशासन की संपूर्ण पुनरीक्षा का भी प्रस्ताव किया जाता है ताकि यह प्रणाली सृजनात्मक रूप से नई आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

अनुसंधान एवं विस्तार प्रणालियों की गुणवत्ता एवं कारगरता सुधारने के लिए अनुसंधान एवं विस्तार के बीच संबंधों को सुदृढ़ किया जाएगा। कृषि विज्ञान केन्द्रों, गैर सरकारी संगठनों, किसान संगठनों, सहकारिताओं, निगमित क्षेत्रक और कृषि व्यापार क्लिनिकों के माध्यम से विस्तार प्रणाली को सशक्त एवं व्यापक बनाया जाएगा। जैविक उत्पादों, जैव उर्वरकों और जैव कीटनाशियों सहित गुणवत्ता प्रमाणन के लिए कृषि विज्ञान केन्द्रों को नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया जाएगा। ऐसी सहकारिताओं/कंपनियों के माध्यम से सामग्रियों की आपूर्ति, कृषि प्रसंस्करण एवं व्यापार को "नाबार्ड" की सहायता से ऋण की उपलब्धता के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2001 पहले ही संसद में पेश कर दिया गया है ताकि विद्यमान उत्पादक सहकारी कारोबारों को कंपनियों में परिवर्तित किया जा सके।

### कृषि निर्यात

कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने की दशायें उत्पन्न करने के लिए कृषि निर्यातों को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इस प्रयोजन के लिये विभिन्न राज्यों में कृषि निर्यात क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है और अभी तक ऐसे 15 क्षेत्रों का अनुमोदन कर दिया गया है। इन कृषि निर्यात क्षेत्रों में आधार सुविधाओं के विकास में तेजी लाने एवं यूनियों को ऋण प्रदान करने के लिये "अपेडा" (कृषि उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) कार्य करेगा।

### ग्रामीण विकास

#### ग्रामीण सड़कें

हमारे सभी गांवों को सभी मौसमों में चालू सड़कों से जोड़ने के लिये प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी जिसमें काफी प्रगति हो रही है। अभी तक प्रदान किये गये 5000 करोड़ रुपए के अलावा वर्ष 2002-2003 के लिये 2500 करोड़ रुपए का और आबंटन किया जा रहा है। इन कार्यों के तेजी से कार्यान्वयन को देखते हुए मेरा विचार अतिरिक्त संसाधनों का पता लगाना है जिसमें वर्ष के दौरान बहुक्षेत्रीय स्रोतों से मिलने वाले संसाधन भी शामिल हैं।

#### ग्रामीण विद्युतीकरण

अपने पिछले बजट भाषण के दौरान मैंने ऐसे 80,000 गांवों के विद्युतीकरण के लिये, जहां बिजली नहीं है, एक पैकेज की घोषणा की थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य विद्युत बोर्डों के लिये ऋण चुकाना मुश्किल होता है, सरकार का प्रस्ताव त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम नामक एक नई ब्याज सब्सिडी स्कीम शुरू करने

का है वर्ष 2002-2003 में इस स्कीम के लिये 164 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

### ग्रामीण रोजगार

वर्ष 2001 में स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधान मंत्री द्वारा घोषित संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस०जी०आर०वाई०) 25 सितम्बर, 2001 को शुरू की गयी थी जिसके लिये चालू रोजगार आश्वासन स्कीम (ई०ए०एस०) और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे०जी०एस०वाई०) को एक में मिला दिया गया था। इस स्कीम को आरंभ करने के समय से, राज्यों को कुल 50 लाख टन में से 30.6 लाख टन खाद्यान्न जारी करने हेतु पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है। यह स्कीम अगले वर्ष भी जारी रखी जाएगी। इस स्कीम के अंतर्गत दिये जा रहे मुफ्त खाद्यान्न का पूरा फायदा उठाने के लिये आगे आने हेतु मैं सभी राज्यों से आग्रह करता हूँ।

लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण को कमजोर वर्गों के लिये हमेशा विशेष चिंता थी। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में देश के सर्वाधिक गरीबी वाले जिलों में बेरोजगारों को रोजगार गारंटी प्रदान करने के लिये मैं जय प्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना (जे०पी०आर०जी०वाई०) शुरू करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन जिलों में रोजगार उत्पन्न करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करने एवं उसे कार्यान्वित करने के लिये मेरे साथी ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्य-बल का गठन किया जाएगा। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, डी०सी० (लघु उद्योग) एवं अन्य एजेंसियों को पूर्ण रूप से इस स्कीम के कार्यान्वयन में शामिल किया जाएगा।

खादी एवं ग्रामीण उद्योगों में क्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा ग्रामीण-औद्योगीकरण बढ़ाने में अत्यधिक मदद मिलेगी। इस प्रयत्न में सहायता करने के लिये मैं 1935 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किये गये वर्धा संस्थान का राष्ट्रीय संस्थान के रूप में उन्नयन का प्रस्ताव करता हूँ जिसे महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान कहा जाएगा।

बाजार में बिक्री के लिये समुचित आधार सुविधाओं के बिना कृषि का विविधीकरण सफल नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिये स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जे०जी०एस०वाई०) नामक विशेष स्कीम के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर ग्रामीण उत्पाद विपणन केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों की स्थापना तथा ग्रामीण हाटों को उन्नत बनाने के लिये ग्रामीण स्थानीय निकायों, सहकारिताओं और गैर सरकारी संगठनों को सहायता दी जाएगी।

हमारे देश के कुछ हिस्से प्राकृतिक आपदाओं से विशेष रूप से ग्रस्त हैं। प्रभावित राज्यों के लिए इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 480 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आबंटन किया गया था। ऐसे संकटापन्न क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०) के अंतर्गत गरीबों

द्वारा बनाये गये मकानों के लिये अब आगे से मास्टर पालिसी के जरिये बीमा "कवर" प्रदान किया जाएगा।

### खाद्य-अर्थव्यवस्था का प्रबंधन

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं एवं चावल की उगाही के अभूतपूर्व स्तर और पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं बफर स्टॉक की काफी कम आवश्यकता के बीच बढ़ते हुए अंतर से उत्पन्न गंभीर नीति एवं राजकोषीय कठिनाइयों की ओर पिछले वर्ष मैंने ध्यान आकर्षित किया था। भारतीय खाद्य निगम द्वारा ऊंची कीमतों पर उगाही एवं भारी सब्सिडी वाली कीमतों पर बिक्री की वर्तमान स्थिति चल सकने योग्य नहीं है। विकेन्द्रीकृत उगाही की अवधारणा को अभी तक राज्यों का सहयोग नहीं मिला है। दीर्घकालिक खाद्यान्न नीति संबंधी उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है। इस रिपोर्ट पर विचार करने के बाद हमारी खाद्य अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रबंधन हेतु हम स्थायी उपाय तैयार करेंगे।

खाद्यान्न के भारी स्टॉक को कम करने के लिये, सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं, जो भण्डारण एवं बिक्री की गंभीर समस्यायें उत्पन्न कर रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं : गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिये अधिक आबंटन, एस०जी०आर०वाई० के अंतर्गत कार्य प्रोग्राम के लिये अधिक खाद्य जारी करना, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिये राज्यों को 30 लाख टन मुफ्त खाद्यान्न का आबंटन, वर्ष 2000-01 में 5.5 लाख टन की तुलना में इस वर्ष 30 लाख टन की खुले बाजार में बिक्री और खाद्यान्न निर्यात के लिये अधिक प्रोत्साहन।

### आधारभूत सुविधायें

अब मैं आधारभूत सुविधाओं के बारे में कहूंगा। हमारी विकास की आकांक्षाओं के लिये कुशल एवं विश्व श्रेणी की आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान महत्वपूर्ण है। निवेश पर पर्याप्त प्रतिफल प्रदान करने के लिये उचित उपभोक्ता शुल्क लगाने का महत्वपूर्ण मुद्दा बार-बार आता है दूर संचार, सड़क एवं पत्तन जैसे क्षेत्रों में जहां उचित उपयोगकर्ता शुल्क विद्यमान है, कुछ सफलता प्राप्त की गई है। मेरे सहयोगी रेल मंत्री द्वारा टैरिफ को युक्तिसंगत बनाने और अन्य किये गये साहसिक उपायों से हम यह आशा कर सकते हैं कि आने वाले वर्षों में रेलवे देश की महत्वपूर्ण परिवहन की आवश्यकता को पूरा कर सकेगा। विद्युत, शहरी आधारभूत सुविधाओं, परिवहन एवं ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में समुचित उपयोगकर्ता शुल्क के अभाव के कारण निरंतर बड़ी कठिनाई अनुभव की जा रही है।

### विद्युत

विद्युत क्षेत्रक में वित्तीय सक्षमता की बहाली अत्यधिक महत्वपूर्ण है सभी राज्य विद्युत बोर्डों के मामले में प्रतिफल की औसत दर लगभग ऋणात्मक 40 प्रतिशत है और उनकी सम्मिलित घाटे बढ़ते जा रहे हैं।

अतः अकेले विद्युत क्षेत्रक में ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों की राजकोषीय स्थिति एवं अर्थव्यवस्था के समग्र निष्पादन के लिए भी यह एक बड़ी चुनौतियों में से एक है।

इन गंभीर समस्याओं को समझते हुए, प्रधान मंत्री ने 3 मार्च, 2001 को राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी। राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा वाणिज्यिक सक्षमता प्राप्त करने के लिये विद्युत क्षेत्रक के सुधारों की आवश्यकता पर व्यापक सहमति प्रकट करते हुए सम्मेलन ने विद्युत वितरण सुधार और उसकी चोरी समाप्त करने पर विशेष जोर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप मुख्य मंत्रियों एवं केन्द्रीय मंत्रियों के उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त दल ने संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्रतिभूतिकरण एवं कर मुक्त बाण्ड जारी करने के द्वारा केन्द्रीय सरकारी क्षेत्रक की उपयोगी सेवाओं के लिए राज्य विद्युत बोर्डों की अतिदेय बकाया राशियों के संबंध में एक बार में भुगतान की सहमति दी थी बशर्ते विनिर्दिष्ट निष्पादन मानदण्ड प्राप्त कर लिया गया हो और भविष्य में वर्तमान देयताओं का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित हो। मैं राज्यों से आगे आने और शीघ्रता से स्कीम का कार्यान्वयन करने का आग्रह करता हूँ।

विद्युत मंत्रालय ने 20 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर पहले ही हस्ताक्षर कर लिये हैं और शेष राज्यों में शीघ्र ही यह कार्रवाई पूरी होने की आशा है। इस दिशा में अपने प्रयत्नों को दुगुना करने के लिये ए०पी०डी०पी० को तीव्रकृत विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए०पी०डी०आर०पी०) के रूप में पुनः तैयार किया जा रहा है जिसके लिये योजना आबंटन इस वर्ष 1500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2002-03 में 3500 करोड़ रुपए किया जा रहा है। राज्यों के लिये निधि की उपलब्धता सहमतिपूर्ण सुधार कार्यक्रम के आधार पर होगी, जिसका मुख्य उद्देश्य आपूर्ति की यूनिट लागत और विनिर्दिष्ट समय सीमा के अंदर राजस्व वसूली के बीच अन्तर को कम करना और अंततः उसे समाप्त करना होगा। तदनुसार विद्युत क्षेत्र में सुधार का केन्द्र बिन्दु उत्पादन से संप्रेषण एवं वितरण में परिवर्तित कर दिया गया है।

एक उच्च स्तरीय मानिट्रिंग ग्रुप इस कार्यक्रम की प्रगति का पर्यवेक्षण करेगा। विद्युत वित्त निगम से रियायती शर्तों पर ऋण के द्वारा इस कार्यक्रम के लिये आबंटन बढ़ाया जाएगा।

### सड़कें

मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि तीन वर्ष पहले शुरू किया गया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन०एच०डी०पी०) अच्छी प्रगति कर रहा है। अब मैं सड़क क्षेत्रक में पूर्णतः नये परिदृश्य को प्राप्त करने का आश्वासन देता हूँ। स्वर्ण चतुर्भुज दिसम्बर, 2003 तक पर्याप्त रूप से पूरा हो जाएगा जो निर्धारित समय से एक वर्ष पहले है। उत्तर-दक्षिण पूर्व-पश्चिम कारिडोर की लंबाई 7300 कि०मी० है जिसमें से 716 कि०मी० को पहले ही

चार लेन वाला बना दिया गया है। अनेक पक्षों से निधिपोषण, सरकारी गारंटी के साथ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अन्य उधारों और अन्य नई वित्तपोषण स्कीमों की सहायता से इस परियोजना के लिए निधि व्यवस्था को 2002-03 में सम्बद्ध कर दिया जाएगा।

### पत्तन

पत्तन न्यास संरचना भारतीय बड़े पत्तनों में लचीलेपन को प्रदान नहीं करती जो कुशल प्रबंधन और सांस्थानिक निधि व्यवस्था जुटाने के लिए आवश्यक है। अतः बड़े पत्तनों का चरणबद्ध तरीके से निगमीकरण करने का प्रस्ताव किया जाता है। निजी क्षेत्रक के निवेशों की सुविधा प्रदान की गई है और 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की 17 परियोजनाओं का पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है और 3,200 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य 8 परियोजनाएं विचाराधीन हैं। विद्यमान पत्तनों के निगमीकरण और नए निजी क्षेत्रक के पत्तनों के बनने से विनियामक संरचना सुदृढ़ हो जाएगी।

### नागर विमानन

सरकार ने निजी क्षेत्रक के प्रबंध और दीर्घकालिक पट्टा प्रणालियों के माध्यम से निवेश को शुरू करके दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को उन्नत करने के अपने निर्णय की पहले ही घोषणा कर दी है बोलियां आमंत्रित करने की कार्यपद्धति को अंतिम रूप से दिया गया है और पट्टेदारी की प्रक्रिया 2002-03 में पूरी हो जाएगी।

निम्नलिखित रियायतों के द्वारा ग्रीनफील्ड विमानपत्तनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा:

- राज्य सरकार से भूमि एवं संबंधित आधार सुविधाओं की उपलब्धता;
- केन्द्रीय बिक्री कर दर से विमानन टर्बाइन ईंधन पर बिक्री कर लगाने वाले राज्यों में स्थित परियोजनाओं के संबंध में बाहर जाने वाले यात्रियों पर अंतर्देशीय विमान यात्रा कर और विदेशी यात्रा कर लगाने से छूट;
- ग्रीनफील्ड (संभावित विकास क्षमता वाले) विमानपत्तन के वित्तपोषण में सहायता के लिए विद्यमान विमानपत्तनों पर अतिरिक्त यात्री सेवा शुल्क के रूप में अग्रिम विकास शुल्क लगाना;
- नए विमान पत्तनों पर उपभोक्ता विकास शुल्क लगाना;
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वित्तीय सहायता/इक्विटी भागीदारी;

बंगलौर और हैदराबाद के प्रस्तावित नए विमान पत्तनों को इन रियायतों से लाभ मिलेगा।

### शहरी विकास

वर्ष 2001 की जनगणना यह प्रदर्शित करती है कि भारत की शहरी आबादी अब लगभग 285 मिलियन है जो संयुक्त राज्य की कुल आबादी से अधिक है। एक मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों की संख्या 1991 में 23 से बढ़कर 2001 में 35 हो गई है। हम अपने अधिकांश कस्बों और शहरों की दुर्दशा के बारे में जानते हैं। यदि इन्हें विकास के इंजन के रूप में कार्य करना है और अपने नागरिकों को उन्हें स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराना है तो इनकी हालत बदलने की जरूरत है। अतः इस क्षेत्र में सुधारों में विलंब नहीं होना चाहिए।

राज्यों को सुधारों से संबद्ध सहायता प्रदान करने के लिए मैं 500 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आबंटन के साथ एक शहरी सुधार प्रोत्साहन निधि (यूआरआईएफ) की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ। यह निधि निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधारों को प्रोत्साहित करेगी:-

- किराया नियंत्रण कानूनों का सुधार और शहरी भूमि हदबंदी कानूनों को रद्द करना।
- उच्च स्टाम्प शुल्क प्रणाली को युक्तिसंगत बनाना।
- भवन निर्माण, स्थलों के विकास आदि के लिए स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए उप-नियमों में संशोधन।
- शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए मॉडल कानून के अनुरूप नगरपालिका कानूनों में संशोधन।
- कृषि वाली भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तित करने हेतु कानूनी एवं प्रक्रियात्मक ढांचों का सरलनीकरण।
- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वास्तविक प्रयोक्ता शुल्क लगाना और संसाधन जुटाना।
- नागरिक सेवाओं के प्रावधान में सरकारी-निजी भागीदारी शुरू करना।

एक प्रोत्साहन आधारित सुविधा के रूप में शहर चुनौती निधि (सीसीएफ) की स्थापना की जाएगी जो नगरपालिका प्रबंधन एवं सेवा प्रदान करने की सक्षम एवं विश्वसनीय सांस्थानिक प्रणालियों की दिशा में चलने की संक्रमण लागत के निधि पोषण के लिए शहरों को सहायता प्रदान करेगी। यह शहरी स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जाने वाले आर्थिक सुधार कार्यक्रम और वित्तीय रूप से सक्षम परियोजनाओं को विकसित करने की लागत के आंशिक वित्तपोषण में सहायता प्रदान करेगी। उधार पात्रता आधार पर बाजार उधार प्राप्त करने में स्थानीय निकायों की सहायता हेतु ऋण बढ़ाने के लिए एक समूहन वित्त विकास स्कीम स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया जाता है। उधार के पात्र बनने

और शहरी आधार सुविधाओं में निवेश करने के योग्य बनने के लिए शहरी स्थानीय निकायों हेतु और प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से, मैं इस वर्ष 200 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2002-2003 में 500 करोड़ रुपए तक के नगरपालिका कर मुक्त बांडों को जारी करने का प्रावधान कर रहा हूँ।

### पर्यटन

देशी पर्यटन के जरिये रोजगार वृद्धि, विदेशी मुद्रा प्राप्ति और अधिक राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने में अपने लाभकारी प्रभाव को देखते हुए पर्यटन एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। अतः निम्नलिखित व्यापक पर्यटन विकास पैकेज को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव किया जाता है :

- वर्ष 2002-2003 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए 6 पर्यटन सर्किटों का पता लगाया जाएगा।
- इन सर्किटों में आधार सुविधा विकास के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्रक दोनों से संसाधन जुटाने हेतु विशेष प्रयोजन वाले वाहनों को अनुमति दी जाएगी।
- एक विशेष क्षेत्र के रूप में हम्पी के विश्व धरोहर (वर्ल्ड हेरिटेज) स्थल को एकीकृत मास्टर प्लान पर आधारित पर्यटन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

तदनुसार, पर्यटन के लिए योजना परिव्यय वर्ष 2002-2003 में 50 प्रतिशत बढ़ाकर 225 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पर्यटन के संबंध में राजकोषीय उपायों पर मैं अपने भाषण के भाग "ख" में अधिक उल्लेख करूँगा।

### आधार सुविधाओं का वित्तपोषण

सरकारी निवेश की अनुपूर्ति के लिए आधार सुविधा क्षेत्रक में निजी क्षेत्रक के निवेश को आकर्षित करने के लिए हमारे द्वारा किए गए निरंतर प्रयत्नों की सदस्यों को जानकारी है। परन्तु दूरसंचार क्षेत्रक को छोड़कर निवेश प्राप्ति की गति मंद रही है अतः मैं आधार सुविधा क्षेत्र में तेजी से निजी निवेश को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ :

- आधार सुविधा परियोजनाओं के लिए इक्विटी निवेश प्रदान करने हेतु 1000 करोड़ रुपए की एक आधार सुविधा इक्विटी निधि की स्थापना की जाएगी। आधार सुविधा विकास वित्त कंपनी लिमिटेड (आईडीएफसी) द्वारा व्यवस्था की जाने वाली इस निधि के लिए सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और कुछ बैंकों द्वारा प्रारंभिक अंशदान किया जाएगा।

- 250 करोड़ रुपए से अधिक की आधार सुविधा परियोजनाओं के ऋण वित्तपोषण को वित्तीय संस्थाओं और बैंकों द्वारा समन्वित करने के लिए एक सांस्थानिक कार्यप्रणाली स्थापित की जा रही है। विभिन्न क्षेत्रकों के लिए प्राथमिक उत्तरदायित्व की साझेदारी आई०डी०बी०आई० और आई०सी०आई०सी०आई० के साथ करते हुए आईडीएफसी एक समन्वयकारी संस्था के रूप में कार्य करेगा।

- आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान के लिए सरकारी निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके लिए एक कार्यबल द्वारा कार्य प्रणाली तैयार की जा रही है।

### लोक-निवेश

महत्वपूर्ण आधार सुविधा क्षेत्रकों में लोक निवेश को भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। विद्युत, सड़कों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों एवं रेलवे में आंतरिक एवं बजट-बाह्य संसाधनों सहित योजना परिव्यय क्रमशः 22 प्रतिशत, 39 प्रतिशत और 23 प्रतिशत बढ़ाया जा रहा है, जो कुल 37919 करोड़ रुपए है।

### वित्तीय क्षेत्रक और पूंजी बाजार

#### ऋण बाजार

सामान्य रूप में एक पारदर्शी एवं सक्रिय ऋण बाजार और विशेष रूप से सरकारी प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए पिछले वर्ष किए गए प्रस्तावों पर अच्छी प्रगति हुई है। एक इलैक्ट्रॉनिक सौदा तय प्रणाली (एनडीएस) द्वारा अब सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन को सरल बनाया जा रहा है और नए क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार की कार्यकुशलता बढ़ाई जा रही है। निवेशकों को अपने निवेशों की बेहतर योजना बनाने तथा बाजार में अधिक पारदर्शिता और स्थिरता लाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों के निर्गम कैलेंडर की घोषणा करेगा। अब सभी राज्य विधानसभाओं से सहमति प्राप्त होने के पश्चात् मैं भी संसद के इसी सत्र के दौरान पुराने सार्वजनिक ऋण अधिनियम, 1949 को एक नए सरकारी प्रतिभूति विधेयक से प्रतिस्थापित करने के लिए विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करता हूँ।

#### पूंजी बाजार

पूंजी बाजार में घटित विभिन्न बाधा पैदा करने वाले घटनाक्रमों की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि निवेशकों का विश्वास फिर से बढ़ाया जाए और बाजार की निष्ठा को मजबूत किया जाए। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :-

- स्टॉक एक्सचेंजों के पृथक स्वामित्व, प्रबंध और प्रचालन के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों

के पृथक स्वामित्व और निगमीकरण की प्रक्रिया इस वर्ष पूर्ण हो जाएगी। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंजों में प्रबंधन पदों पर दलाली सदस्यों के प्रवेश पर पहले ही रोक लगा दी है।

- निवेशकों की सुरक्षा तथा पूंजी बाजार के विनियामक के रूप में "सेबी" की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए संसद के बजट सत्र के दौरान "सेबी" अधिनियम, 1992 में कानूनी संशोधनों का प्रस्ताव किया जाएगा।
  - लेखा संबंधी मानकों और लेखा-परीक्षकों की प्रभावकारिता के संबंध में विदेशों में और देश के भीतर हुए घटनाक्रम को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि इस क्षेत्र के विनियमन को मजबूत बनाया जाए।
  - विदेशी सांस्थानिक निवेशक पोर्टफोलियों निवेश मार्ग के अधीन किसी कंपनी में एक विशेष संकल्प के तहत शेयरधारकों के सामान्य निकाय के अनुमोदन से कंपनी की प्रदत्त पूंजी के 24 प्रतिशत से अधिक का निवेश कर सकते हैं। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब विदेशी सांस्थानिक निवेशकों का पोर्टफोलियों निवेश विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिये क्षेत्रकीय सीमाओं के अधीन नहीं होगा। इस संबंध में अलग से मार्ग निर्देश जारी किये जायेंगे।
- पूंजी बाजार के विकास और इसे गहन बनाने के लिए कुछ और उपाय किए गए हैं:
- बदला व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और व्यावहारिक रूप से अब स्टॉक व्यापार चल निपटान प्रणाली के रूप में किया जा रहा है।
  - एक्सचेंज द्वारा व्यापार किए जाने वाले व्युत्पन्न अब व्यापक हो गये हैं जिसके अंतर्गत नकदीकरण के लिए विकल्प के रूप में बहुत से लिखत उपलब्ध हैं।
  - जुलाई, 2001 में व्यक्तिगत स्टॉक विकल्पों और सूचीबद्ध स्टॉक विकल्पों की शुरुआत तथा नवम्बर, 2001 में एकल स्टॉक भावी सौदों की शुरुआत की गई थी।
  - विदेशी संस्थागत निवेशकों को अब विनिर्दिष्ट व्यापारिक सीमाओं के भीतर सभी स्टॉक व्यापार व्युत्पन्न उत्पादों का व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।
  - दावा न की गई और भुगतान न की गई राशियों को जमा करने के लिए 1 अक्टूबर, 2001 से एक निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि की स्थापना की गई है।

यू एस-64 स्कीम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट में सुधार लाने के लिए उपायों के एक पैकेज की घोषणा की गई है जिसका प्रयोजन प्रणालीगत सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए निवेशकों के हितों का सामंजस्य बनाए रखना है। यूएस-64 को एनएवी आधारित बनाने के लिए काफी समय से लम्बित सुधार को क्रियान्वित कर दिया गया है। यूटीआई अधिनियम में आगे विधायी परिवर्तन लाने के लिए वर्ष के दौरान अन्य आवश्यक सुधार उपाय किए जाने प्रस्तावित हैं।

### बैंकिंग क्षेत्र

बैंकिंग क्षेत्र में किए गए सुधार इस क्षेत्र की कार्यकुशलता तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने हेतु जारी रहेंगे। निम्नलिखित उपाय किए गये हैं या किए जा रहे हैं:

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने पिछले वर्ष में वसूल किए गए 9,883 करोड़ रुपए की तुलना में वर्ष 2000-01 में 12,860 करोड़ रुपए की वसूली की और निवल अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में निवल गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां पिछले वर्ष की 7.4 प्रतिशत की तुलना में 31 मार्च, 2001 की स्थिति के अनुसार घटकर 6.7 प्रतिशत हो गयी।
- 29 कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों तथा 5 अपील न्यायाधिकरणों की स्थापना की गयी। 30 सितम्बर, 2001 की स्थिति के अनुसार, कर्ज वसूली न्यायाधिकरणों ने 18703 मामलों का निपटान किया जिनमें 14,026 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त थी। 3,527 करोड़ रुपए की वसूली की गयी।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा-अपेक्षित गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियों के लिये प्रावधान करने हेतु बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त राजकोषीय राहत दी जा रही है जिसका ब्यौरा मेरे भाषण के भाग 'ख' में दिया गया है इससे बैंक अपनी उधार दरों की समीक्षा करने में समर्थ होंगे।
- बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतियों के मोचन निषेध और प्रवर्तन के माध्यम से ऋणदाता को मजबूती प्रदान करने हेतु, संसद में बैंकिंग क्षेत्र सुधार सम्बन्धी एक नया विधेयक लाने का प्रस्ताव है यह विधेयक दीर्घकालिक ऋणों में रुद्ध पूंजी के सम्बन्ध में प्रतिभूतिकरण को भी सक्षम बनाएगा।
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा बहुपक्षीय एजेंसियों की भागीदारी से 30 जून, 2002 तक एक प्रायोगिक परिसम्पत्ति पुनर्निर्माण कम्पनी की स्थापना की जाएगी। यह कम्पनी बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादन परिसंपत्तियों को ग्रहण करने हेतु उपाय करेगी और प्रतिभूतिबद्ध ऋणों से सम्बद्ध बाजार का विकास करेगी।

- जमा बीमा ऋण तथा गारंटी निगम को बैंक जमा बीमा निगम में रूपान्तरित किया जाएगा ताकि इसे वित्तीय क्षेत्र में जमाकर्ताओं के जोखिमों से निपटने हेतु और संकटग्रस्त बैंकों के बारे में एक प्रभावी साधन बनाया जा सके। इस उद्देश्य हेतु उपयुक्त विधायी परिवर्तन प्रस्तावित किए जाएंगे।
- वित्तीय क्षेत्र में सुधारों ने आईडीबीआई जैसी विकास वित्त संस्थाओं के लिए नयी चुनौतियां पेश की हैं। आगामी वर्ष के भीतर आईडीबीआई का निगमीकरण करने हेतु विधायी परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ताकि इसे उपयुक्त गतिशीलता प्रदान की जा सके। इस बीच आईडीबीआई के क्षेणी-एक पूंजी को मौजूदा आईबीआरडी के रूपांतरण द्वारा मजबूती प्रदान की जा रही है और एनआईसी (एलटीओ) ऋणों को उपयुक्त दीर्घकालिक लिखतों में बदला जा रहा है।
- वर्ष 2000 में कम्पनी अधिनियम, 1956 में किए गए कतिपय संशोधनों के परिणामस्वरूप, कम्पनी द्वारा कुछ चूकों के मामले में निदेशक चयन हेतु आयोग्य हो जाते हैं। सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के नामित निदेशकों को इस उपबंध से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है।
- सार्वजनिक क्षेत्र के तीन बैंकों को वर्ष 1997-98 में गठित बैंकिंग क्षेत्र सुधार समिति द्वारा सुझाए गए मानदंड के आधार पर कमजोर बैंकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें से यूको बैंक तथा युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नामक दो बैंकों की स्थिति में सुधार आया है और उन्होंने लाभ कमाना प्रारंभ कर दिया है। यद्यपि इंडियन बैंक में भी पर्याप्त सुधार दिखाई दिया है लेकिन इसके पूंजी पर्याप्तता अनुपात में कमी रही है। मॉनीटर योग्य सुधार उपायों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार की प्रतिबद्धता के आधार पर इस बैंक के पुनः पूंजीकरण हेतु 1300 करोड़ रुपए का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

बैंकिंग क्षेत्र में विदेशी बैंकों को भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली शाखाओं के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक की विशिष्ट अनुमति से कारोबार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित समिति द्वारा की गयी सिफारिश के आधार पर अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी बैंकों को यह विकल्प दिया जाए कि वे या तो अपने मूल बैंकों की शाखाओं के रूप में कार्य करें या सहायक बैंकों के रूप में अपनी स्थापना करें। किसी भी विदेशी बैंक को दो विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होगा। ऐसे सहायक बैंकों को सभी बैंकिंग विनियमों का पालन करना होगा जिसमें अन्य स्वदेशी बैंकों के संबंध में लागू प्राथमिक क्षेत्र के ऋण प्रदान करने वाले मानदंड भी शामिल होंगे। ऐसी सहायक कंपनियों के लिए 10 प्रतिशत के मतदान के अधिकार की अधिकतम उच्च सीमा में छूट प्रदान करने हेतु बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण, सहकारी ऋण संरचना के पास कम पूंजी पर्याप्तता तथा उच्च गैर निष्पादनकारी परिसम्पत्तियां हैं, इसलिए उसमें सुधार करने की तुरन्त आवश्यकता है। मैंने इसकी कार्यप्रणाली की निकटता से जांच करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के उपाध्यक्ष के अधीन एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों पर मुख्यमंत्रियों तथा मेरे सहयोगी श्री विखे पाटिल की अध्यक्षता में गठित सहकारिता मंत्रियों की संयुक्त समिति द्वारा विस्तार से चर्चा की गयी है। मॉडल सहकारी अधिनियम को अपनाने, राज्य सरकारों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के बीच दोहरी नियंत्रण व्यवस्था को हटाने, चुनावों का समय पर आयोजन, सदस्यों की बड़ी भागीदारी, प्रबन्धन का व्यावसायीकरण आदि जैसे सुधार उपायों की सिफारिश की गयी है केन्द्र और राज्य सरकारों के मध्य 60 : 40 के अनुपात में सदस्यों की शेयर पूंजी में बढ़ोतरी करने के साथ पुनः पूंजीकरण फार्मूले का सुझाव दिया गया है राज्यों को विचार करके निधिकरण के अपने हिस्से को स्वीकार करना होगा तथा सुधार के लिए सुझाए गए उपायों को कार्यान्वित करना होगा। हालांकि, यह विषय राज्य का है लेकिन भारत सरकार इस प्रक्रिया में सहायता करने के लिए हर संभव सहायता करेगी। इस प्रक्रिया को आरम्भ करने के लिए मैं 100 करोड़ रुपए का सांकेतिक प्रावधान कर रहा हूँ तथा सुधार की गति को देखते हुए अतिरिक्त निधियों की व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा।

### आवास वित्त

पिछले चार वर्षों में आवास वित्त के संबंध में किए गए प्रयासों ने सकारात्मक परिणाम दिखाए हैं। वर्ष 2000-2001 में आवास वित्तपोषण संस्थाओं द्वारा किया गया कुल संवितरण 26,300 करोड़ रुपए था जो वर्ष में लगभग 28 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करता है। इस राशि ने लगभग 28 लाख मकानों के निर्माण हेतु वित्त व्यवस्था उपलब्ध करायी जो 20 लाख मकानों के वार्षिक लक्ष्य से काफी अधिक है। चालू वर्ष में, इस वृद्धि दर के लगभग 35 प्रतिशत पहुंच जाने की आशा है। आवास वित्त को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

- राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम में संशोधन के फलस्वरूप, इस बैंक ने आवास ऋणों के प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की है तथा यह बंधकों के मोचन निषेध का संचालन कर रहा है।
- राष्ट्रीय आवास बैंक एक बंधक ऋण गारंटी स्कीम प्रारंभ करेगा जिसे सभी आवास ऋणों के संबंध में मुहैया कराया जाएगा जिससे ऋणदाताओं की चूक के विरुद्ध पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी। यह आवास ऋणों को और अधिक समर्थनीय बनाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवास ऋण की पहुंच में भी बढ़ोतरी होगी।
- स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त स्कीम के अधीन लक्ष्य को चालू वर्ष में 1.7 लाख से वर्ष 2002-2003 के

लिए 2.25 लाख रुपये तक बढ़ाना प्रस्तावित है। दिसंबर, 2001 तक लगभग 1 लाख इकाइयों का वित्तपोषण किया जा चुका है।

- इंदिरा आवास योजना के लिए आबंटन को 13 प्रतिशत बढ़ाकर 2002-03 के लिए 1725 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

मैं आवास पर अपने भाषण के भाग 'ख' में और अधिक उल्लेख करूंगा।

### पूँजी खाता उदारीकरण

पूँजी खाता परिवर्तनीयता कुछ समय से हमारी कार्यसूची में रही है हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय पूँजी बाजारों में हुई कई अव्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मैं सावधानी के साथ अपनी उदारीकरण की नीति जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ। तदनुसार, मैं पूँजी खाते को और उदार बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करने का प्रस्ताव करता हूँ:

- अनिवासी भारतीयों के लिए जमा स्कीमों की पूर्ण परिवर्तनीयता होगी। मौजूदा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर(बी) स्कीम और अनिवासी बाह्य रुपया (एन०आर०ई०) स्कीम प्रत्यावर्तनीय बनी रहेगी।
- अनिवासी भारतीयों को पूर्णतः परिवर्तनीयता प्रदान नहीं करने वाली स्कीमों को पहली अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दिया जाएगा। अनिवासी (अप्रत्यावर्तनीय) रुपया खाते में मौजूदा शेष को परिपक्वता पर परिवर्तनीय अनिवासी बाह्य रुपया खाते में जमा करने की अनुमति दी जाएगी।
- अनिवासी भारतीय भारत में किराए, लाभांश, पेंशन, ब्याज और इसके समान अन्य अपने वर्तमान अर्जनों को उपयुक्त प्रमाणन के आधार पर विदेशी मुद्रा में प्रत्यावर्तित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
- विदेश में निवेश करने की इच्छुक भारतीय कंपनियां अब 50 मिलियन अमरीकी डालर की मौजूदा सीमा से अधिक, स्वचालित मार्ग के माध्यम से वार्षिक आधार पर 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का निवेश कर सकती हैं।
- बाजार खरीद द्वारा विदेश में संयुक्त उपक्रमों में समुद्रपारीय निवेश करने वाली भारतीय कंपनियां 25 प्रतिशत की वर्तमान सीमा से अधिक अपनी निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत तक ऐसा किसी पूर्वानुमोदन के बिना कर सकती हैं।
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्येक मामले के आधार पर अच्छे निष्पादन रिकार्ड वाले कार्पोरेट्स को विदेशी शैक्षणिक

संस्थाओं में चेयर्स की स्थापना और अन्य कल्याणकारी उपायों जिनसे विदेश में समुदाय को लाभ मिलने की संभावना हो, के लिये अपनी विदेशी मुद्रा आय से निधियों में अंशदान की अनुमति दी जाएगी।

- भारतीय म्युचुअल फंडों को अब मौजूदा सीमाओं में पूर्णतः परिवर्तनीय मुद्राओं वाले देशों में मूल्यबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी। पहले ऐसे निवेश की अनुमति समुद्रपारीय बाजारों में भारतीय कंपनियों द्वारा जारी एडीआर/जीडीआर में ही दी जाती थी।
- विदेशी वाणिज्यिक उधारों का पूर्व-भुगतान ईईएफसी खाते में उपलब्ध शेष की सीमा तक, जो इस समय निर्यात आय के 50 प्रतिशत तक प्रतिबंधित है, अब अनुज्ञेय है। विदेशी वाणिज्यिक उधार धारकों की निम्न ब्याज दरों से लाभ उठाने योग्य बनाने के लिए निर्यात आय से उच्चतर राशि के उपयोग पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विचार किया जाएगा।
- पूँजी खाता लेन-देनों को और उदार बनाने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बाण्ड (एफसीसीबी) स्कीम को 50 मिलियन अमरीकी डालर तक स्वचालित मार्ग के अधीन रखने का प्रस्ताव किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक इन उपायों के लिए अलग-अलग दिशानिर्देश जारी करेगा।

जहां पूँजी खाते का उदारीकरण आवश्यक है वहीं हमें गैर कानूनी पूँजी प्रवाहों को रोकने में सावधानीपूर्वक सतर्कता बरतनी होगी। हाल ही में देखे गये प्रमाण देश में आतंकवादी गतिविधियों की सहायता के लिए विभिन्न माध्यमों से बड़ी राशियों के अंतरण को प्रदर्शित करते हैं। इसलिए सरकार आतंकवादी गतिविधियों से सम्बद्ध वित्तीय लेन-देनों से सम्बद्ध संभावित हवाला आपरेटर्स/अवैध रूप से मुद्रा का लेन-देन करने वालों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को अधिकार देने के लिए संसद के वर्तमान सत्र के दौरान एक उचित विधान लाने का प्रस्ताव करती है।

### संरचनात्मक सुधार

#### पेट्रोलियम के लिए प्रशासित मूल्य प्रणाली (एपीएम)

नवम्बर, 1997 में सरकार द्वारा जैसा निर्णय लिया गया और पिछले वर्ष मेरे द्वारा दोहराया गया था, मैं पहली अप्रैल, 2002 से पेट्रोलियम क्षेत्रक में प्रशासित मूल्यनिर्धारण प्रणाली (एपीएम) को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

- पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण बाजार द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

- तेल पूल खाते को पहली अप्रैल, 2002 से समाप्त कर दिया जाएगा और बकाया शेष का समापन संबंधित तेल कंपनियों को ऑयल बाण्ड जारी करके किया जाएगा।
- निजी कंपनियों को निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अधीन वितरण की अनुमति दी जाएगी।
- क्षेत्रक का निरीक्षण करने के लिए एक पेट्रोलियम विनियामक बोर्ड गठित किया जाएगा।
- पूर्वोत्तर में रिफाइनरियों को सब्सिडी युक्तसंगत आधार पर जारी रहेगी।
- दूरस्थ क्षेत्रों में एलपीजी और मिट्टी के तेल के लिए मालभाड़ा सब्सिडी जारी रहेगी।
- प्रशासित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने के परिणामस्वरूप, डीजल का मूल्य प्रति लीटर लगभग 50 पैसे और पेट्रोल का मूल्य लगभग 1 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएगा। मूल्यों में यह परिवर्तन प्रारंभिक रूप से तेल पूल खाते के भाग के रूप में 1 मार्च, 2002 से लागू होगा।
- प्रशासित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने पर वर्ष 1997 में लिए गए सरकार के निर्णय ने एलपीजी और मिट्टी के तेल पर पहली अप्रैल, 2002 तक सब्सिडी क्रमशः 15 और 33 प्रतिशत कम करने का अधिदेश दिया। तदनुसार, 1 मार्च, 2002 से एलपीजी का मूल्य प्रति सिलेंडर लगभग 40 रुपए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए मिट्टी के तेल का मूल्य लगभग 1.50 रुपए प्रति लीटर बढ़ाया जा रहा है ये सब्सिडियां 1 अप्रैल, 2002 से समेकित निधि द्वारा वहन की जाएंगी।
- एलपीजी और मिट्टी के तेल पर सब्सिडी पहली अप्रैल, 2002 से निर्दिष्ट एक समान दर पर होगी। खुदरा मूल्य तब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के मूल्य में परिवर्तन के साथ भिन्न-भिन्न होगा।
- इन सब्सिडियों को आगामी 3 से 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाएगा।
- प्रशासित मूल्य प्रणाली-पश्च उत्पाद और सीमाशुल्क परिवर्तन का विवरण मेरे भाषण के भाग 'ख' में दिया गया है। चूंकि सब्सिडी के बोझ का वहन केन्द्रीय बजट द्वारा अगले वर्ष से किया जाएगा इसलिए अपेक्षित संसाधन जुटाने के लिए कराधान उपाय तैयार किये गए हैं।

प्रशासित मूल्य प्रणाली को समाप्त करने के और ब्यौरे अलग से मेरे सहयोगी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा घोषित किए जाएंगे।

## औद्योगिक पुनर्संरचना

प्रतिस्पर्धा की ताकतों से निपटने के लिए औद्योगिक और अन्य कंपनियों को लगातार आधार पर पुनर्संरचना करने की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रयोजन के लिए वित्तीय पुनर्संरचना के कानूनी अवसरों के प्रयोग के अतिरिक्त व्यवहार्य संगठनों की सामाजिक और पारदर्शी निगमित ऋण पुनर्संरचना के लिए न्यायालय से बाहर की कार्य प्रणाली को बढ़ावा देना अनिवार्य है। निगमित ऋण पुनर्संरचना (सी डी आर) की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। मैंने यह निर्णय लिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में एक छोटे विशेषज्ञ दल का गठन किया जाएगा जो इसके प्रचालन को और सक्षम बनाने के उपायों का सुझाव देगा।

मैं अपने भाषण के भाग 'ख' में इस्पात और वस्त्र जैसे कुछ मुख्य उद्योगों के सुदृढीकरण के लिए विशिष्ट राजकोषीय उपाय तथा विनिर्माण क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा को बेहतर बनाने के लिए कुछ अन्य उपायों की व्यवस्था करूंगा।

## लघु उद्योग

जैसा कि माननीय सदस्यों को जानकारी है, लघु उद्योग अब व्यापार उदारीकरण के पूरा होने से बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के अधीन है। इसलिए, लघु उद्योगों के संवर्धन के लिए एक नया दृष्टिकोण पहले ही अपनाया जा चुका है।

लघु क्षेत्रक के लिए पर्याप्त ऋण प्रवाह अनिवार्य है। लघु उद्योगों के पास निवल बैंक ऋण बकाया 31 मार्च 2000 को 45,789 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च, 2001 को 48,445 करोड़ रुपए हो गया है। ऋण का प्रवाह और बढ़ाने के लिए:-

- मिश्रित ऋणों की सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।
- 30 सितंबर, 2001 तक लघु उद्योगों के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों की 391 विशिष्ट शाखाएं खोली गई हैं।
- संपार्श्विक जमानत की छूट सीमा 25,000 रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है राष्ट्रीय इक्विटी निधि के अधीन परियोजना लागत सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है।
- लघु उद्योगों को ऋण प्रदान करना, ऋण गारंटी स्कीम और प्रौद्योगिकी उन्नयन की ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी स्कीम के माध्यम से सुविधाजनक बनाया जा चुका है।
- किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम से प्रोत्साहित होकर सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने अब छोटे व्यापारियों, खुदरा व्यापारियों, कारीगरों और छोटे उद्यमियों, व्यावसायिकविदों और लघु

क्षेत्रक वालों सहित स्व-रोजगार प्राप्त अन्य व्यक्तियों को सरलीकृत और उधारकर्ता अनुकूल ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए "लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड (एलयूसीसी) स्कीम" नामक एक स्कीम शुरू करने का निर्णय लिया है।

सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछले वर्ष मैंने जूते, चमड़े की सामग्रियों और खिलौना क्षेत्रकों में 14 मदों के अनारक्षण की घोषणा की थी। सरकार आरक्षित सूची में कतिपय अन्य मदों के संबंध में पणधारियों के साथ विचार-विमर्श में लगी रही हैं। बुने हुए वस्त्रों, कतिपय कृषि उपकरणों, मोटरवाहन (ऑटो) संघटकों, कुछ रसायनों और औषधियों की 50 से अधिक मदों और अन्यों को अब अनारक्षित कर दिया जाएगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : बहुत अच्छा। इस क्षेत्र का तो अंत ही हो गया।

श्री यशवन्त सिन्हा : मेरे सहयोगी, लघु उद्योग मंत्री अलग से इन मदों का ब्यौरा घोषित करेंगे।

### निर्यात

निर्यात के संवर्धन की गति को तेज करने के लिए सरकार हर तरह की सहायता प्रदान करने के लिए वचनबद्ध हैं एक मुख्य नई पहल विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) की स्थापना करना है मैं अपने भाषण के भाग 'ख' में एसईजेड के लिए एक व्यापक पैकेज की घोषणा करूंगा।

नए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों और संबद्ध सुविधाओं के सृजन द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं इस स्कीम के परिव्यय को इस वर्ष 97 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 के लिए 330 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ। वर्ष 2002-2003 के लिए वाणिज्य विभाग का संपूर्ण परिव्यय 55 प्रतिशत बढ़ाकर 775 करोड़ रुपए किया गया है।

### मानव विकास

#### शिक्षा

संविधान के 93वें संशोधन ने 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बना दिया है इसे संभव बनाने के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार किया जाएगा। तदनुसार, प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता विभाग का आयोजना आबंटन इस वर्ष 4000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 के लिए 4900 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

पिछले वर्ष मैंने भारत और विदेश में विद्यालयों और कॉलेजों में सभी पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए एक नई व्यापक शैक्षणिक ऋण स्कीम की घोषणा की थी। इस स्कीम से छात्रों को लाभ पहुंचा

है और लगभग 50,000 विद्यार्थियों को लगभग 670 करोड़ रुपए का ऋण दिया जा चुका है।

### सामाजिक सुरक्षा

पिछले वर्ष मैंने उल्लेख किया था कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) से एक नई पेंशन स्कीम की रूपरेखा प्रदान करने के लिए कहा जाएगा ताकि असंगठित क्षेत्र को पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके। आईआरडीए ने व्यक्तियों को अपनी सेवानिवृत्ति पर पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए परिभाषित अंशदान आधार पर अभिदान करने योग्य बनाने के लिए एक पेंशन निधि गठित करने के लिए एक विनियामक संस्था की सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर 30 जून, 2002 तक कार्रवाई की जाएगी।

अच्छी और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा सुविधा तक पहुंच अधिकांश ग्रामीण आबादी के लिए अभी भी स्वप्न-मात्र है। बीमा प्रीमियम के रूप में 1 रुपए प्रतिदिन के भुगतान से जरूरतमंद आबादी को संरक्षण प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों द्वारा "जनरक्षा" नामक एक बीमा स्कीम तैयार की जा रही है, जिसके अधीन कोई भी व्यक्ति चयनित और निर्धारित अस्पतालों में प्रतिवर्ष 30,000 रुपए तक का अंतरंग उपचार कराने का हकदार होगा। निर्धारित क्लिनिकों, जिसमें सिविल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, निजी न्यास अस्पताल और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलायी जा रही अन्य संस्थाएं शामिल होंगी, में प्रतिवर्ष 2000 रुपए तक का बहिरंग उपचार भी शामिल किया जाएगा।

### महिला और बच्चे

वर्ष 2001 महिला अधिकारिता वर्ष के रूप में मनाया गया था और महिलाओं की अधिकारिता में सहायता करने के लिए कई नीति, विधायी और कार्यक्रम संबंधी पहले प्रारंभ की गई हैं। मैं महिला और बाल विकास विभाग के लिए आयोजना आबंटन में 33 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे 2200 करोड़ रुपए निर्धारित कर रहा हूँ।

वैज्ञानिक व्यवसायों में महिलाओं के अधिक संख्या में प्रवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का आशय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले वर्ष में कम से कम 100 छात्रवृत्तियां देना है।

इसके अतिरिक्त, हमारे देश में बहुत अधिक बच्चे कुपोषण से प्रभावित हैं। तदनुसार, प्रधानमंत्री ने दिनांक 15 अगस्त, 2001 के अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में एक राष्ट्रीय पोषाहार मिशन की घोषणा की। इस मिशन के अधीन आईसीडीएस संरचना के माध्यम से गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की किशोर बालिकाओं तथा गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली माताओं को कम दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।

## भारतीय चिकित्सा पद्धति

चेन्नई स्थित राष्ट्रीय सिद्धा संस्थान को अपनी गतिविधियां प्रारम्भ करने के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। दिल्ली में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद अस्पताल की स्थापना निजी क्षेत्र की भागीदारी से की जाएगी। मैं भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए अगले वर्ष हेतु बजटीय सहायता को पुनः 25 प्रतिशत बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर रहा हूँ।

## अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में अनुसूचित जातियों के कल्याण एवं उत्थान के लिए आबंटन इस वर्ष 792 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अगले वर्ष 879 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : एस सी और एस टी के लिए थोड़ा और बढ़ाएं।

[अनुवाद]

श्री यशवन्त सिन्हा : जनजातीय कल्याण मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में सुधार हेतु कई योजनाएं चलायी हैं। अच्छी शिक्षा प्राप्ति में सुधार हेतु छात्रवृत्तियों तथा छात्रावासों जैसी विभिन्न स्कीमों, खाद्य बैंक की स्थापना, तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम के तहत अन्य सहायता प्रदान करने वाली स्कीमों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मैंने जनजातीय कल्याण हेतु, आयोजना परिव्यय को 21 प्रतिशत तक बढ़ाकर वर्ष 2002-03 में 290 करोड़ रुपए कर दिया है।

## पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

मुझे सदन को यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि चालू वर्ष के दौरान, वर्ष 1998-1999 में स्थापित केन्द्रीय पूल से पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गयी है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 187 करोड़ रुपए ज्यादा है। विभिन्न मंत्रालयों के केन्द्रीय आयोजना में से पूर्वोत्तर राज्यों में किए जाने वाले व्यय के प्रावधान को भी चालू वर्ष में 3457 करोड़ रुपए से बढ़ाकर आगामी वर्ष हेतु लगभग 5016 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

## विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के लिए आयोजना आबंटन को बढ़ाकर वर्ष 2002-03 में 625 करोड़ रुपए किया जा रहा है जो चालू वर्ष की तुलना में 52 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

विश्वविद्यालयों में प्रयोगशालाओं की सुविधाएं बढ़ाने हेतु, वर्ष 2000-01 में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी सुधार संबंधी एक निधि की स्थापना की गयी थी। इस निधि के प्रति व्यक्त उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर मैं इस कार्यक्रम हेतु आबंटन को बढ़ाकर वर्ष 2002-03 में लगभग 115 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 75 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस निधि से प्राप्त संसाधनों का उपयोग समस्त विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय सुविधाओं को बढ़ाने हेतु भी किया जाएगा।

राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन की स्थापना 20 करोड़ रुपए के संचित कोष से मार्च, 2000 में की गयी थी ताकि उत्कृष्ट पारम्परिक ज्ञान तथा मूल नवाचारों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार हो सके। इस प्रयास ने अच्छे परिणाम दिखाए हैं। दूसरे वार्षिक अभियान में, राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन ने सम्पूर्ण देश से 11,000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त की, जबकि पहले वर्ष 948 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। इस उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया से प्रोत्साहित होकर मैं लघु नवाचारों हेतु लघु उद्यम पूंजी निधि की स्थापना का प्रस्ताव करता हूँ जिसे राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन के सहयोग से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा प्रारम्भ किया जाएगा ताकि उद्यमों में नवाचारों के परिवर्तन को सुगम बनाया जा सके।

## मनोरंजन

कम्प्यूटर साफ्टवेयर में भारत के वैश्विक नेतृत्व के बाद अब हम मनोरंजन उद्योग के व्यापक रूप से फैले उच्च क्षमता के दूसरे क्षेत्र में भी अग्रणी हो गये हैं। आज, हम विश्व के सबसे बड़े फिल्म निर्माता हैं, हमारे पास तेजी से विस्तार कर रहा प्रसारण क्षेत्र है; संगीत के क्षेत्र में प्रतिभा का महान खजाना छिपा है; और मनोरंजन उद्योग के संबंध में सभी प्रकार की निविष्टियों का अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र बनने की शानदार सम्भावनाएं हैं। तदनुसार सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के लिए बजटीय सहायता को 22 प्रतिशत तक बढ़ाकर वर्ष 2002-03 में 415 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

पिछले वर्ष मनोरंजन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने फिल्म तथा टीवी सॉफ्टवेयर उत्पादन के लिए अब तक 236 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में धन की उपलब्धता से अच्छी फिल्में बनेंगी। पिछले तीन वर्षों के दौरान, फिल्मों का निर्यात मोटे तौर पर प्रत्येक वर्ष दुगुना होता रहा है। यही समय है जब हम अपनी राजकोषीय व्यवस्था से मनोरंजन उद्योग में और "खुशी" लाकर शेष "गम" को उससे हटाने में समर्थ हुए हैं।

"फिलहाल" आगे की राहों और प्रोत्साहनों को मेरे भाषण के भाग 'ख' में विस्तार से दिया गया है।

## राजकोषीय समेकन

अपने प्रत्येक बजट भाषण में, मैंने केन्द्र और राज्य सरकारों की खराब राजकोषीय स्थिति पर गहरी चिन्ता बार-बार व्यक्त की है। इस चिन्ता के प्रत्युत्तर में, मैंने दिसम्बर, 2000 में संसद में राजकोषीय दायित्व तथा बजट प्रबन्ध विधेयक प्रस्तुत किया था। वित्त सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति की सिफारिशों पर हमारा ध्यान गया है और चालू सत्र के अन्तर्गत इस सम्माननीय सदन में विचार हेतु मैं एक विधेयक लाने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैंने अनुमानित राजकोषीय घाटे को वर्ष 2000-2001 सं०अ० में 5.1 प्रतिशत से घटाकर वर्ष 2001-2002 के ब०अ० में सकल घरेलू उत्पाद के 4.7 प्रतिशत तक करने का प्रस्ताव किया था। औद्योगिक मंदी वर्ष 2000-01 तथा चालू वर्ष दोनों ही में देखी गयी जो सीमा शुल्कों, उत्पाद शुल्कों तथा निगमित आय कर से प्रत्याशित राजस्व संग्रहणों की अपेक्षा काफी कम थी। तथापि, आयोजना भिन्न व्यय पर कठोरता से नियंत्रण रखा गया जिसके परिणामस्वरूप, माननीय महोदय, आपको यह सुनकर हर्ष होगा कि चालू वर्ष में आयोजना भिन्न व्यय बजट में रखी गयी राशि की तुलना में 10,000 करोड़ रुपए से भी कम है, तथापि, औद्योगिक मंदी तथा अनवरत सरकारी निवेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोजना व्यय को न केवल संरक्षित किया जा सका बल्कि यह वास्तव में ब०अ० से अपेक्षाकृत अधिक था। वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में भी कमी दिखाई दी है। परिणामस्वरूप, अब चालू वर्ष में राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद के 5.7 प्रतिशत होने की आशा है।

अपनी राजकोषीय व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। हमें गैर-उत्पादक व्ययों को नियंत्रित करने तथा अपनी कर-व्यवस्था में पर्याप्त सुधार करने हेतु यथासम्भव प्रयास करने चाहिए ताकि राजस्व संग्रहण आगामी वर्षों में उत्साही वृद्धि दिखाए। मैं इस संबंध में अपने भाषण के भाग 'ख' में शीघ्र ही अपनी योजनाएं रेखांकित करूंगा।

व्यय का सर्वाधिक तेजी से बढ़ता घटक सब्सिडियां हैं। यह परमावश्यक है कि उन्हें आगामी 3 से 5 वर्षों की अवधि में घटाकर न्यूनतम स्तर पर लाया जाए। तथापि, सुलक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पोषण के पर्याप्त स्तरों तक गरीबों की पहुंच को रोजगार सजन कार्यक्रमों के साथ सुनिश्चित करना होगा।

## मध्याह्न 12.00 बजे

### व्यय प्रबन्ध

आयोजना भिन्न व्यय को नियंत्रित करने में प्राप्त की गयी सफलता ने मुझे इस दिशा में प्रयासों को और तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया है। व्यय सुधार आयोग (ई०आर०सी०) की सिफारिशों ने व्यय

में हो रही वृद्धि में तुरन्त सन्तुलन स्थापित करने के लिए एक अत्यन्त उपयोगी रूपरेखा प्रस्तुत की है। ई०आर०सी० ने अपना कार्य सितम्बर, 2001 में पूरा कर लिया है और उसने 10 रिपोर्टें प्रस्तुत की हैं जिनमें 36 मंत्रालयों/विभागों को शामिल किया गया। इन मंत्रालयों/विभागों की कुल स्वीकृत स्टॉफ संख्या 8.65 लाख हैं इन मंत्रालयों/विभागों में पहचान किए गए 42,200 अधिशेष जनशक्ति में से लगभग 12,200 पदों को मार्च, 2002 के अन्त तक समाप्त किए जाने की आशा है। शेष रिपोर्टों पर विभिन्न चरणों में विचार किया जा रहा है। कुल सिविलियन स्टॉफ के 1 प्रतिशत तक नवीन भर्ती को सीमित करने संबंधी निर्णय को आगामी 4 वर्षों के लिए निरन्तर कार्यान्वित किया जाएगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पैकेज की उपलब्धता, जिसे अब अनुमोदित किया जा चुका है, प्रभावित कर्मचारियों की पर्याप्त सुरक्षा का सुनिश्चय करते हुए स्टॉफ संख्या को घटाने के प्रयास में सहायक होगी।

हमने उत्पादन प्रणाली में अकुशलताओं को दूर करके उर्वरक सब्सिडी जिसे उत्पादकों द्वारा और निर्गम मूल्यों में समय-समय बढ़ोतरियों के कारण पहले सरकार की जिम्मेदारी बनाया गया था, को नियंत्रित करने के प्रयत्न किए हैं। व्यय सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि सरकार को प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत मूल्य बढ़ाने चाहिए और अगले पांच वर्षों में नियंत्रण मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए। उर्वरकों की कीमतों में पिछले दो वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है। मैं यूरिया, डीएपी और एसओपी के निर्गम मूल्य में लगभग 5 प्रतिशत की साधारण वृद्धि और एसएसपी के लिए सब्सिडी प्रति टन 50 रुपए कम करने का प्रस्ताव करता हूँ।

[हिन्दी]

**कुंवर अखिलेश सिंह** (महाराजगंज, उत्तर प्रदेश) : यह किसान विरोधी निर्णय अमेरिका के हितों का पोषण करने के लिए हो रहा है। यह ग्राम विरोधी और गरीब विरोधी बजट है।

[अनुवाद]

**श्री यशवन्त सिन्हा** : जटिल उर्वरकों की कीमतों को भी उचित रूप से संशोधित किया जाएगा। कृषि तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय विनिर्दिष्ट बढ़ोतरियों को अधिसूचित करेंगे।

मूल्य और वितरण के नियंत्रण की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए 1 मार्च, 2002 से चीनी पर अनिवार्य लेवी की दर को 15 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत कर दिया जाएगा। तदनुसार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1 मार्च, 2002 से चीनी का खुदरा मूल्य 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम होगा।

डाक सेवाओं की बढ़ती लागत के कारण डाक दरों में मामूली वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

## लघु बचतें तथा ब्याज दरें

प्रशासित ब्याज दरों को तर्कसंगत बनाने हेतु सुझाव देने के लिए मैंने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति के गठन की घोषणा की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और इस पर सरकार द्वारा विचार किया गया है। तदनुसार, मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:

- प्रशासित ब्याज दरों को अब द्वितीयक बाजार में समतुल्य परिपक्वता की सरकारी प्रतिभूतियों के औसत वार्षिक लाभ तक सीमित रखा जाएगा। तदनुसार, 1 मार्च, 2002 से अधिकांश प्रशासित ब्याज दरों को 50 आधार अंकों तक घटाया जा रहा है। भविष्य में ऐसे समायोजन गैर-विवेकाधीन स्वतः आधार पर वार्षिक रूप से किए जाएंगे। लघु बचत जमाराशियों पर बज दरों में कटौती के लाभ को पूरी तरह से राज्यों को अंतरित कर दिया जाएगा।
- भारत सरकार राहत बांडों के लिए लागू ब्याज दर में भी 50 आधार बिंदु की तदनु रूप कटौती की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन बांडों में निवेश की सीमा 2 लाख रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की जा रही है।
- लघु बचतों से प्राप्त सकल निवल आय के 80 प्रतिशत अंतरण की वर्तमान दर को बढ़ाकर 1 अप्रैल, 2002 से राज्य सरकारों को अंतरित कर दिया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, राज्यों को कम ब्याज दर के लाभ सहित लगभग 10,000 करोड़ रुपए की ऋण सहायता भी उपलब्ध होगी।
- राज्य सरकारें कम ब्याज दर पर उपलब्ध इन अतिरिक्त संसाधनों से अपने पिछले उच्च लागत ऋण की पूर्व-अदायगी कर सकेंगी। राज्य सरकार की लघु बचत ऋण की पूर्व-अदायगी के प्रतिमान को राज्य सरकारों और भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से तैयार किया जाएगा।
- राज्य आयोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता के ऋण भाग पर ब्याज दर को 50 आधार अंकों द्वारा घटाया जा रहा है।
- केन्द्र द्वारा सामान्य भविष्य निधि (जी०पी०एफ०) की घटाई गई ब्याज दरों के साथ राज्य सरकारों द्वारा समायोजित जी०पी०एफ० की ब्याज दरों से राज्य सरकारों का ब्याज संबंधी बोझ और कम हो जाएगा।
- लघु बचतों संबंधी कर उपायों में संशोधन किए जा रहे हैं जिन्हें मेरे भाषण के भाग 'ख' में दिया गया है।

लघु बचतों संबंधी कर उपायों तथा प्रशासित ब्याज दरों में लंबे समय से वांछित सुधार का कार्यान्वयन अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों के

विनियमन, जिसे पिछले 10 वर्षों में चरणबद्ध रूप से जारी रखा गया है, की दिशा में एक और कदम है। भविष्य में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों को समान रूप से अपना ब्याज संबंधी बोझ कम करने में सहायता मिलेगी।

## पेंशन सुधार

सरकारी कर्मचारियों की मौजूदा पेंशन योजना से सरकार पर बेतहाशा वित्तीय बोझ पड़ता है सरकारी सेवा में भर्ती होने वाले नये कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदानों पर आधारित एक नई पेंशन योजना तैयार करने के लिए मैंने एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ दल की नियुक्ति की घोषणा की थी। विशेषज्ञ दल ने सरकार को अब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है दल ने एक दोहरी योजना का प्रस्ताव किया है जिसमें एक तरफ तो कर्मचारियों तथा केन्द्र सरकार द्वारा समतुल्य आधार पर अंशदान करने तथा दूसरी ओर कर्मचारियों को पेंशन के रूप में एक परिभाषित लाभ देने की वचनबद्धता की सिफारिश की गई है। सरकार द्वारा इस योजना पर विचार किया जा रहा है तथा नयी भर्तियों के लिए 1 जून, 2002 में नई पेंशन योजना घोषित और कार्यान्वित कर दी जाएगी।

## निजीकरण

विनिवेश और निजीकरण की सरलीकृत प्रणाली के साथ मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की 7 कंपनियों तथा भारतीय होटल निगम और भारत पर्यटन विकास निगम की कुछ होटल परिसंपत्तियों के नीतिबद्ध बिक्री कार्य को पूरा कर लिया है। शेरों के छोटे समूहों के विनिवेश से अपना ध्यान हटा कर महत्वपूर्ण निवेशकों को शेरों के बड़े समूह बेचने की तरफ अपना रुख करने से प्राप्त मूल्य अर्जन अनुपात सुधरे हैं। हमें आशा है कि हम इस वर्ष 6 अन्य कंपनियों तथा एच०सी०आई० और आई०टी०डी०सी० के शेष होटलों में विनिवेश कार्य को पूरा कर लेंगे। वर्तमान वर्ष में 5000 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्तियां होने का अनुमान है जिसमें वी०एस०एन०एल० का 1,887 करोड़ रुपए का विशेष लाभांश शामिल नहीं है। इन परिणामों से प्रोत्साहित होकर अगले वर्ष मैं फिर से विनिवेश से 12,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति कर रहा हूँ।

## रक्षा

हमारी सुरक्षा संबंधी तैयारियों का आधुनिकीकरण और उन्नयन हमारे राष्ट्र की उच्चतम प्राथमिकता है। आगामी वर्ष के लिए मैंने रक्षा व्यय के लिए 65,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है यदि आवश्यकता हुई तो मैं इस उद्देश्य के लिए और अधिक राशि का प्रावधान करने में नहीं हिचकूंगा। रक्षा बलों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए तथा, जैसा कि प्रधान मंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में घोषित किया गया था, रक्षा कर्मियों के लिए आवास निर्माण संबंधी एक बड़ा कार्यक्रम आरम्भ किया जा रहा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह अच्छी बात है।

श्री यशवन्त सिन्हा :

राज्य राजकोषीय सुधार

राज्यों के मामले में राजकोषीय प्रबंधन की चुनौती भी इतनी ही गंभीर है। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर स्थापित की गई राजकोषीय सुधार प्रोत्साहन निधि के माध्यम से हम राज्यों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। गैर-उत्पादनकारी व्यय को कम करके अपनी राजकोषीय स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने साहसिक कदम उठाए हैं। अभी तक 12 राज्यों ने चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार के साथ परामर्श करके मध्यावधिक राजकोषीय सुधार कार्यक्रम तैयार किए हैं और उन्हें प्रोत्साहन निधि से सहायता भी प्रदान की गई है/ब्याज दर में कटौती तथा ऋण विनिमय सुविधा, जिसका मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, के साथ-साथ लघु बचत योजनाओं के सुधार से राज्यों को सहायता मिलेगी। संयुक्त रूप से हमारा यह प्रयास होगा कि वर्ष 2005 तक समेकित ऋण को सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के वहनीय स्तर तक लाया जा सके।

जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं कि अब हम ए०पी०डी०आर०पी०, ए०आई०बी०पी०, यू०आर०आई०एफ०, आर०आई०डी०एफ० जैसे बहुत से क्षेत्रों के लिए राज्यों को सुधार संबंधी सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए 12,300 करोड़ रुपए की कुल राशि प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, ऐसे क्षेत्रों, जो संवर्धन और विकास में बाधा डाल रहे हैं, में नीति संबंधी सुधारों के लिए 2,500 करोड़ रुपए की एकमुश्त प्रावधान किया गया है। मुझे विश्वास है कि केन्द्र और राज्यों के संयुक्त प्रयासों से हम ऐसे कार्यक्रम और नीतियां तैयार कर सकेंगे जिनसे विकास में आड़े आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सकेगा और विकास प्रक्रिया की गति तेज होगी और हमारे लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

बजट अनुमान

वर्ष 2001-2002 के संशोधित अनुमान

चालू राजकोषीय वर्ष के संशोधित अनुमान बजट अनुमानों की तुलना में व्यय में 10,787 करोड़ रुपए की गिरावट दर्शाते हैं।

1,63,031 करोड़ रुपए के बजट अनुमान, की तुलना में केन्द्र के निवल कर राजस्व 1,42,348 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 20,683 करोड़ रुपए की गिरावट दर्शाते हैं। कमी का मुख्य कारण औद्योगिक मंदी के कारण सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क का कम संग्रहण होना है कर-भिन्न राजस्व 70,224 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो 68,714 करोड़ रुपए के अनुमानित स्तर से 1510 करोड़ रुपए अधिक है। तथापि, 5000 करोड़ रुपए की विनिवेश प्राप्ति 12,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में काफी कम है।

वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमान

वर्ष 2002-2003 के बजट अनुमानों में कुल व्यय 4,10,309 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जिसमें से 1,13,500 करोड़ रुपए आयोजनागत तथा 2,96,809 करोड़ रुपए आयोजना-भिन्न व्यय के लिए हैं।

आयोजना-व्यय

केन्द्र राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए 1,13,500 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता का प्रावधान रखा गया है जो कि 2001-2002 के बजट अनुमान से 18,400 करोड़ रुपए अधिक है यह पिछले वर्ष की तुलना में 19.35 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है जो कि पिछले दशक में उच्चतम वृद्धि है। केन्द्रीय योजना के लिए सकल बजटीय सहायता को 2001-2002 के संशोधित अनुमानों के 60,276 करोड़ रुपए से बढ़ाकर वर्ष 2002-2003 में 66,871 करोड़ रुपए किया जा रहा है। वर्ष 2002-2003 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली केन्द्रीय आयोजना सहायता को भी वर्ष 2001-2002 के संशोधित अनुमानों के 38,878 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 46,629 करोड़ रुपए किए जाने का प्रस्ताव है। केन्द्रीय आयोजना परिव्यय में हुई वृद्धि 11 प्रतिशत से कम है जब कि राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता में लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

डा० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : बिहार के आर्थिक पैकेज का क्या हुआ . . . (व्यवधान) यू टी आई में घोटाला हो रहा है, सब जगह घोटाला हो रहा है . . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी आप क्या कर रहे हैं, रोज सारे हाऊस को डिस्टर्ब करते हैं,

[अनुवाद]

यह ठीक नहीं है। कृपया अपना व्यवहार ठीक करिए, अन्यथा मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी।

[हिन्दी]

आप हाऊस के बारे में क्या समझते हैं। आप यह क्या तमाशा कर रहे हैं?

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : ये हमें सुनने नहीं देना चाहते। अगर इनको नहीं सुनना है तो ना सुनें, लेकिन बीच में बोलकर हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

[हिन्दी]

**डा० रघुवंश प्रसाद सिंह :** आप यह कहने वाले कौन हैं  
... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) :** कुछ समय पहले वह सभा के बीचों-बीच खड़े थे और अब वे भाषण दे रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री प्रकाश परांजपे :** आप बीच में बोलने वाले कौन होते हैं  
... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मिस्टर परांजपे, यह आप क्या कर रहे हैं, क्या आप हाउस को कंट्रोल करेंगे।

[अनुवाद]

पूरा राष्ट्र यह देख रहा है कि हम सभा में किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि सभा में कैसे व्यवहार किया जाता है।

**श्री यशवन्त सिन्हा :** आयोजना-भिन्न व्यय

वर्ष 2001-2002 के संशोधित अनुमानों के 2,65,282 करोड़ रुपए की तुलना में 2002-2003 में आयोजना-भिन्न व्यय 2,96,809 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। आयोजना-भिन्न व्यय में वृद्धि मुख्यतः ब्याज अदायगियों (10,133 करोड़ रुपए), सब्सिडी (9,278 करोड़ रुपए), रक्षा (8,000 करोड़ रुपए) तथा राज्य सरकारों को अनुदान (2,196 करोड़ रुपए) के कारण हुई है।

महोदय, मैं अब अपने कर प्रस्तावों को सामने रखता हूँ।

मैंने अपने कर प्रस्ताव वर्तमान आर्थिक मंदी की पृष्ठभूमि में तैयार किए हैं। मेरे कर प्रस्तावों का उद्देश्य मांग बढ़ाना, निवेश को बढ़ावा देना, आर्थिक वृद्धि में तेजी लाना और उत्पादकता बढ़ाना है। इनका उद्देश्य कर आधार को व्यापक बनाना, कर संरचनाओं को युक्तिसंगत और सरल बनाना तथा स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहित करना भी है।

पहले मैं अपने अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

महोदय, मैंने अपने पिछले बजटों में वस्तु कर ढांचे में निरन्तरता, विकृतियों, विसंगतियों और असमानताओं के मुद्दों पर ध्यान देने के कठिन प्रयत्न किए हैं। मैंने उत्पाद एवं सीमा शुल्क दोनों के संबंध में कर संरचनाओं को काफी युक्तिसंगत बनाया है। दरों की संख्या पहले से कम है और प्रणालियां अधिक पारदर्शी हैं। यद्यपि सेवा-कर कुछ ही सेवाओं तक सीमित है परन्तु उसमें सुदृढ़ता आई है।

वर्ष 2000-2001 में मैंने उत्पाद शुल्क संरचना में केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर (सेनवैट) की दर के रूप में 16 प्रतिशत की दर शुरू की थी। पिछले वर्ष मैंने विशेष उत्पाद शुल्क की तीन दरों को कम करके 16 प्रतिशत की एक ही दर बनाई थी। शुल्क संरचना की इस युक्तिसंगतता से विवादों एवं मुकदमों में काफी कमी आई है। इससे कर निर्धारितियों द्वारा अनुपालन की लागत में भी कमी आई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे एक ऐसी प्रणाली स्थापित हुई है जो स्थिर, न्यायपूर्ण, सरल एवं कारगर है। हमें इसे केवल और सुधारने की जरूरत है।

मैं अनेक मदों पर 16 प्रतिशत के विशेष उत्पाद शुल्क को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। अब आगे से विशेष उत्पाद शुल्क निम्नलिखित 8 मदों पर ही लगाया जाएगा:

- पालिएस्टर फिलामेंट यार्न
- मोटर कारें
- बहु-उपयोगी वाहन
- बदली वाले टायर
- वातित मृदु पेय और मृदु पेय सांद्रण
- एयर कंडीशनर्स
- पान मसाला और
- खाया जाने वाला तम्बाकू एवं विविध तम्बाकू उत्पाद।

मैं 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क की रियायती दर को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ जो एल०पी०जी०, मिट्टी तेल, आटो सी०एन०जी० और 10 अश्वशक्ति तक के डीजल इंजनों पर लागू है, जिस पर अब 16 प्रतिशत की दर पर केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर लगेगा।

अध्यक्ष महोदय, उत्पाद शुल्क की दरों को अब काफी कम कर दिया गया है फिर भी अनेक छूटें अभी भी जारी हैं। अपने पिछले बजट में मैंने कुछ मदों पर 4 प्रतिशत की साधारण दर से उत्पाद शुल्क लगाया था। मैं इस दर को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर इस वर्ष 8 प्रतिशत के स्तर पर लाने का प्रस्ताव करता हूँ। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसी और मदों पर 4 प्रतिशत की दर से उत्पाद शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ, जिन्हें अभी तक छूट मिली हुई थी।

सिगार, चुरुट और तंबाकू सिगरिलोस या तंबाकू-एवजी पर, जिन्हें अभी तक छूट प्राप्त थी, 16 प्रतिशत सेनवैट लगाया जाएगा।

पेट्रोलियम उत्पादों पर प्रशासित मूल्य प्रणाली की समाप्ति को देखते हुए और एल०पी०जी० एवं मिट्टी तेल पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए, मैं पेट्रोलियम उत्पादों की शुल्क संरचना में कुछ परिवर्तन करने

का प्रस्ताव करता हूँ। तेल उद्योग (विकास) अधिनियम के अधीन स्वेदशी कच्चे तेल पर लागू उपकर की दर 1 मार्च, 2002 से प्रति मीट्रिक टन 900 रुपए से बढ़ाकर प्रति मीट्रिक टन 1800 रुपए की जाएगी। मैं मोटर स्पिरिट पर लागू उत्पाद शुल्क की यथामूल्य दर 90 प्रतिशत से घटाकर 32 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इसके उत्पादन पर प्रति लीटर 6 रुपए का अधिभार लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, इथनाल मिले मोटर स्पिरिट पर अधिभार दर प्रति लीटर केवल पांच रुपए पच्चीस पैसे होगी।

अध्यक्ष महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था में भारतीय वस्त्र उद्योग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला यह दूसरा सबसे बड़ा साधन है वर्ष 2004 तक "मल्टी फाइबर" करार को क्रमिक रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। अब घरेलू बाजार भी खोल दिया गया है हमारे वस्त्र उद्योग को आगे आने वाली चुनौतियों के लिए अपने को तैयार करना है।

मैंने वस्त्र उद्योग के लिए प्रोत्साहनों का एक विशेष पैकेज तैयार किया है।

मैं धागे पर उत्पाद शुल्क की दरें बनाए रखने का प्रस्ताव करता हूँ। सूती लच्छी वाले धागे को उत्पाद शुल्क से छूट है। हथकरघा बुनकरों को ही लक्षित लाभ मिल सकें यह सुनिश्चित करने के लिए मैं एक तरफ तो लच्छीदार धागे (हैंक यार्न) को 8 प्रतिशत के उत्पाद शुल्क के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव करता हूँ और दूसरी तरफ उनके द्वारा खरीदे गए लच्छीदार धागों के मूल्य पर उपयुक्त सब्सिडी प्रदान करता हूँ। इससे कर अपवंचन समाप्त होगा और सब्सिडी संबंधी लक्ष्य बेहतर ढंग से निर्धारित किए जा सकेंगे। कपड़ा मंत्रालय इस सब्सिडी स्कीम के विवरणों की घोषणा करेगा।

बुनकरों को "सेनवैट क्रेडिट स्कीम" का लाभ प्रदान करने के लिए मैं "ग्रे-फैब्रिक्स" (धूसर वस्त्र) बुनकरों को वैकल्पिक आधार पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं बुनाई क्षेत्रक को भी ऐसा ही विकल्प प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक यह दावा कर सकता हूँ कि मैंने उत्पाद शुल्क संरचना में 16 प्रतिशत की "सेनवैट" दर शुरू की है। परन्तु मैं इसके अपवादस्वरूप वस्त्र उद्योग के मामले में 4 प्रतिशत की कटौती प्रदान कर रहा हूँ। वस्त्रों, सिले-सिलाए वस्त्रों और परिधानों पर उत्पाद शुल्क की दर 12 प्रतिशत होगी। यह विशेष छूट 28.2.2005 तक जारी रहेगी। परन्तु औद्योगिक परिधानों पर 16 प्रतिशत का शुल्क जारी रहेगा।

इस समय स्वतंत्र रूप से वस्त्र तैयार करने वालों के लिए हाथ से वस्त्र तैयार करने के मामले में उत्पाद शुल्क से छूट है भले ही विद्युत का उपयोग सूती वस्त्र के मामले में 12 विनिर्दिष्ट प्रोसेस (प्रक्रियाओं)

में और व्यक्ति द्वारा निर्मित वस्त्रों के मामले में 7 विनिर्दिष्ट प्रोसेस में किया गया हो। मैं इस छूट को 3 प्रक्रियाओं अर्थात् सफाई करने, निचोड़ने और कैलेंडरिंग के लिए सीमित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं, स्वतंत्र विद्युत प्रोसेसर्स के लिए मिश्रित लेवी स्कीम समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ क्योंकि यह मेरे द्वारा प्रस्तावित कम की गई शुल्क दर के अनुकूल नहीं है।

मेरे बजट प्रस्तावों से हथकरघा क्षेत्रक प्रभावित नहीं है। हथकरघा वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क छूट जारी है। मैं अब हथकरघा वस्त्रों के लिए भी छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ बशर्ते हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा इसका प्रमाणन किया गया हो।

वस्त्र उद्योग द्वारा अपना आधुनिकीकरण करने और नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए मैं आटोमैटिक शटल रहित लूम पर उत्पाद शुल्क की छूट का प्रस्ताव करता हूँ। मैं विनिर्दिष्ट प्रसंस्करण मशीनरी तथा विनिर्दिष्ट रेशम की रीलिंग (चरखी पर लपेटना), बुनाई एवं ट्विस्टिंग (बटाई) मशीनरी पर उत्पाद शुल्क की छूट का भी प्रस्ताव करता हूँ। ऐसी मशीनरी पर सीमा शुल्क भी 25 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। मैं विनिर्दिष्ट जूट मशीनरी को भी उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। मुझे आशा है कि इस पैकेज से वस्त्रोद्योग वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ होगा।

मेरे प्रस्ताव में पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए उत्पाद शुल्क ढांचे में विशेष छूट शामिल है। दिनांक 1 मार्च, 2002 से इन सभी रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित पेट्रोलियम उत्पादों पर अन्यथा पेट्रोलियम उत्पादों पर लागू उत्पाद शुल्क की सामान्य दर का आधा उत्पाद शुल्क प्रभार्य होगा।

पूर्वोत्तर राज्यों के भीतर हवाई यात्रा के लिए अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर से छूट प्राप्त है। मैं पूर्वोत्तर राज्यों तक और वहां से की जाने वाली हवाई यात्रा पर इस छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

इस समय चाय उद्योग अनेक कारणों से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। चाय उत्पादकों के हितों को बढ़ावा देने के लिए मैं चाय पर उत्पाद शुल्क प्रति किलो 2 रुपए से घटाकर प्रति किलो 1 रुपए करने का प्रस्ताव करता हूँ।

हमें "एचआईवी-एड्स" के खतरे का दृढ़ संकल्प के साथ सामना करना है। मैं 1 मार्च, 2002 से "एड्स-रोधी" विनिर्दिष्ट दवाओं पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

विनिर्दिष्ट शीत श्रृंखला उपस्करों को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है। मैं फलों और सब्जियों के संरक्षण को बढ़ाया देने के लिए 3 और उपस्करों को इस सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ।

लघु उद्योग क्षेत्रक के लिए उत्पाद शुल्क की छूट ग्रेनाइट के लिए भी लागू हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह संगमरमर के लिए उपलब्ध नहीं है, मैं इस छूट को ग्रेनाइट से भी वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

वस्तुओं के अधिकतम खुदरा मूल्य पर आधारित उत्पाद शुल्क मूल्यांकन की योजना ने नाटकीय रूप से मूल्यांकन संबंधी विवादों को सुलझाया है। मैं इस वर्ष इस योजना को मदों की 9 और श्रेणियों के लिए लागू करने का प्रस्ताव करता हूँ, जिससे इन मदों की श्रेणियों की संख्या बढ़कर 92 हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, और अधिक सेवाओं पर कर लगाने को न्यायसंगत ठहराने के लिए विस्तारपूर्वक चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है इस वर्ष मेरा प्रस्ताव है कि निम्नलिखित सेवाओं पर सेवा-कर लगाया जाए:

- जीवन बीमा, जिसमें बीमा संबंधी सहायक सेवाएं भी शामिल हैं।
- अंतर्देशीय कार्गो संचालन।
- भंडारण और भांडागारण (कृषि उत्पादों तथा शीत-भंडारण को छोड़कर)
- समारोह प्रबंधन।
- रेल यात्रा एजेंट।
- हैल्थ क्लब और फिटनेस सेंटर।
- ब्यूटी पार्लर।
- फैशन डिजाइनर्स।
- केबल आपरेटर्स।
- ड्राइक्लीनिंग सेवाएं।

सेवा-कर बैंकों तथा बैंकिंग-भिन्न वित्तीय कंपनियों द्वारा प्रदत्त विशिष्ट सेवाओं पर भी लागू होता है। मैं उन निगमित निकायों पर भी सेवा-कर लगाने का प्रस्ताव करता हूँ, जो ऐसी ही सेवाएं प्रदान करते हैं।

इन सेवाओं पर यह कर अधिसूचित तारीख से प्रभावी होंगे।

हाल ही की घटनाओं से हमारे पर्यटन उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है। दिसम्बर, 2001 में मैंने होटलों द्वारा प्रदत्त सेवाओं पर सेवा-कर छूट की घोषणा की थी। यह छूट 31 मार्च, 2002 को समाप्त होनी है। मैं इस छूट को एक और वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2003 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

महोदय, अब मैं सीमा-शुल्क संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

सदन को याद होगा कि मैंने अपने पिछले बजट में घोषणा की थी कि मैं सीमा-शुल्क की उच्च दर को तीन वर्ष के अंदर उत्तरोत्तर कम करके 20 प्रतिशत पर लाऊंगा। मैंने यह भी कहा था कि अगले बजट के लिए इसकी कार्यप्रणाली समय पर तैयार की जाएगी। कार्यप्रणाली की सिफारिशें करने के लिए तदनुसार मैंने एक अंतर-मंत्रालयीन कार्य दल का गठन किया था। इस दल ने इस वर्ष के बजट में यह शुरू करने के लिए इसकी रूपरेखा सुझाई है। दल की रिपोर्ट पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, मैंने निर्णय लिया है कि वर्ष 2004-05 तक सीमा-शुल्क की केवल दो मूल दरें होंगी अर्थात् 10 प्रतिशत की दर, जिसके अंतर्गत सामान्य कच्चा माल, मध्यवर्ती माल और संघटक होंगे और 20 प्रतिशत की दर, जिसके अंतर्गत अंतिम रूप से तैयार उत्पाद शामिल होंगे। विद्यमान दरों को विश्व व्यापार संगठन की बाध्यताओं अथवा कृषि उत्पादों के लिए उच्चतर शुल्कों के अपवाद सहित इन दो मूल दरों में समायोजित और सम्मिलित किया जाएगा। सुझाई गई रूपरेखा के अनुसार मैं 35 प्रतिशत की अधिकतम दर को कम करके इस वर्ष 30 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं कुछ वर्तमान समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुछ परिवर्तन करने का प्रस्ताव भी करता हूँ।

हमारा इस्पात उद्योग मांग की मन्दी से प्रभावित हुआ है और इसे काफी क्षमि पहुंची है। इसके उत्पादन लागत को कम करने के लिए मैं कई ताप-सह मृत्तिका कच्ची सामग्रियों पर सीमा-शुल्क 10 प्रतिशत कम करने का प्रस्ताव करता हूँ। इनमें प्राकृतिक ग्रेफाइट चूर्ण, सिलिकन धातु, निसादित अल्युमिना, पिघला हुआ जर्कोनिया और बोरॉन कार्बाइड शामिल हैं। मैं 24 इंच व्यास से अधिक के ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड पर शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

विखंडन के लिए आयातित जहाजों पर प्रतिकारी शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क के साथ 5 प्रतिशत सीमा-शुल्क प्रभाय होता है। मैं विखंडन के लिए जहाजों पर बुनियादी शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करके और उन्हें प्रतिकारी शुल्क तथा विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट देकर इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पादित बेल्लित उत्पाद और जहाज के विखंडन से उत्पादित सस्ते उत्पादों के बीच विसंगति कम करने के लिए है।

इस्पात उद्योग को पुराने और त्रुटिपूर्ण इस्पात के सस्ते मूल्य पर आयातों द्वारा नुकसान होता है उनकी चिंता पर ध्यान देने के लिए मैं पुराने और त्रुटिपूर्ण इस्पात पर बुनियादी सीमा-शुल्क को 40 प्रतिशत की आबद्ध दर तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ।

अलौह धातुओं का प्रयोग उद्योग के विभिन्न खंडों द्वारा कई तरह के अनुप्रयोगों में होता है मैं तांबा, जस्ता और सीसा पर सीमा-शुल्क

35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं अल्युमीनियम और टिन पर भी सीमा-शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

वर्ष 2000-2001 के लिए निर्यात-आयात नीति में मेरे सहयोगी, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की स्कीम घोषित की है, जिसका आशय निर्यात उत्पादन के लिए एक स्थान में व्यापक सुविधाएं प्रदान करना है। विशेष आर्थिक क्षेत्र शुल्क मुक्त उपस्कर कच्ची सामग्रियां, संघटक आदि, चाहे वे आयातित हों अथवा स्थानीय रूप से खरीदे गए हों, प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी छूट का लाभ विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा उसमें अवस्थित यूनिटों दोनों के विकासकर्ताओं पर लागू होगा।

विश्व-स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए मैं पत्तनों और विमानपत्तनों के लिए निर्दिष्ट उपस्करों पर सीमा-शुल्क घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

नागर विमानन क्षेत्रक द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के दृष्टिगत मैं हवाईजहाजों, हेलीकॉप्टरों, ग्लाइडरों, हवाईजहाजों के अनुरूपकों तथा उनके पुर्जों और कच्ची सामग्रियों पर शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, भारत सूचना प्रौद्योगिकी करार का एक हस्ताक्षरकर्ता है। इस सदन को याद होगा कि वर्ष 1998 में मैंने घोषणा की थी कि सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों पर शून्य शुल्क प्रणाली 2003 तक पहले ही प्रभावी और कार्यान्वित होगी। तथापि, स्थानीय विनिर्माताओं ने मुझसे बलपूर्वक आग्रह किया है कि इसे वर्ष 2005 से प्रभावी किया जाए। यह उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की चुनौती पूरी करने के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान करेगा। मैंने उनकी मांग स्वीकार करने का निर्णय लिया है देशी उद्योग को सहायता के एक उपाय के रूप में मैं कई हार्डवेयर निविष्टियों पर सीमा-शुल्क घटाकर 5 प्रतिशत और कतिपय पूंजीगत सामग्रियों पर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। सूचना प्रौद्योगिकी के कतिपय मदों पर शुल्क विश्व व्यापार संगठन की बाध्यता के अनुसार 10 प्रतिशत अथवा 5 प्रतिशत तक कम की जाएगी।

सेलूलर फोन का प्रयोग दिन-दूनी रात चौगुनी गति से बढ़ रहा है परन्तु अनधिकृत माध्यमों से आयात एक चिंता का विषय है। इसलिए मैं सेलूलर फोन और पेजरो को प्रतिकारी शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ। तथापि, बुनियादी सीमा-शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जा रहा है।

महोदय, मैंने सदन को बारम्बार आश्वस्त किया है कि किसानों के हित संरक्षण के लिए हमारे सीमा-शुल्क टैरिफ को उपयुक्त स्तरों पर स्थिर किया जाएगा। मैंने अपने पिछले बजट में चाय, कॉफी, कोपरा और नारियल तथा सूखे नारियल पर सीमा-शुल्क बढ़ाकर 70 प्रतिशत

किया था। इस वर्ष, मैं चाय और कॉफी पर सीमा-शुल्क 100 प्रतिशत और प्राकृतिक रबड़ खसखस, काली मिर्च, लौंग और इलायची पर 70 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं दालों पर भी शुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

हमारे किसानों को नई और सक्षम प्रौद्योगिकी अधिग्रहीत करने के लिए बढ़ावा देने हेतु मैं कृषि मशीनरी और उपकरणों पर सीमा-शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

कई औषधियों को सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त है। मैं, कैंसर और कुछ अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए प्रयुक्त और अन्य औषधियों को पूर्णतः छूट प्राप्त औषधियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। जापानी मस्तिष्क शोथ से प्रतिरक्षण के लिए टीके भी सीमा-शुल्क से छूट प्राप्त होंगे। यह सूचित किया गया है कि इस समय कतिपय औषधियों को सीमा-शुल्क से छूट प्रदान की जाती है लेकिन अब उनका देश में ही निर्माण किया जा रहा है। इन औषधियों के घरेलू विनिर्माताओं को उचित प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए मैं इन औषधियों पर 5 प्रतिशत का बुनियादी सीमा-शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ।

भारत में बड़ी संख्या में मधुमेह के रोगी हैं। उन्हें बारम्बार रक्त शर्करा की जांच करानी होती है। उन्हें कुछ राहत प्रदान करने के लिए मैं ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स पर सीमा-शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। महोदय, संयोगवश, मैं मधुमेह का रोगी नहीं हूँ।

यौक्तिकीकरण के उपाय के रूप में और विसंगति दूर करने के लिए मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भिन्न मिट्टी तेल पर सीमाशुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अधीन बेचे जाने वाले मिट्टी तेल पर सीमाशुल्क 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

विज्ञान में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए मैं तारामंडल (प्लेनेटोरियम) उपस्करों, पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमाशुल्क घटाकर 15 प्रतिशत करने और उन्हें सीवीडी और विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

भारत के पास "सार्क" देशों के लिए टेलीविजन चैनलों हेतु एक संयोजक केन्द्र बनने की तकनीकी दक्षता है। प्रतिस्पर्धी लागतों पर अत्याधुनिक संयोजक सुविधाओं के संवर्धन के लिए मैं कतिपय भू-केन्द्र उपस्करों और स्टूडियो उपस्करों पर सीमाशुल्क 35 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

मैं सीमेंट और खंगर पर सीमाशुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह घरेलू कीमतें नियंत्रणाधीन रखने में सहायक होगा।

विश्व व्यापार संगठन के अधीन चालू वर्ष के लिए आयातित शराब पर सीमाशुल्क 182 प्रतिशत पर आबद्ध हैं। तदनुसार मैं इन मदों पर सीमाशुल्क 210 प्रतिशत से घटाकर 182 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं शराब और मदिरा पर लागू प्रतिकारी शुल्क दरें 7.5 प्रतिशत तक करने को युक्तिसंगत बनाने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

निवासस्थानों के स्थानान्तरण पर विदेश से लौटने वाले यात्रियों को 35 प्रतिशत की एकसमान दर पर सीमाशुल्क के भुगतान पर व्यक्तिगत प्रयोग की कतिपय मदों को लाने की अनुमति दी जाती है मैं इस दर को घटाकर 30 प्रतिशत करने और लैपटॉप कम्प्यूटरों, सुवाह्य फोटोकॉपी मिशीन, डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर, वीडियो कैसेट डिस्क प्लेयर जैसी कुछ और मदों को मदों की पात्र सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करता हूँ। निवासस्थानों के स्थानान्तरण की समग्र सीमा भी 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जा रही है।

मैं ऐसी कुछ मदों, जिन्हें इस समय छूट प्राप्त है, पर 5 प्रतिशत का सामान्य सीमाशुल्क लगाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं कतिपय अन्य मदों, जिनपर इस समय 5 प्रतिशत सीमाशुल्क लगता है, पर विशेष अतिरिक्त शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

मैंने छोटी प्रकृति के कुछ अन्य परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया है। मैंने सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर कानूनों, जो वित्त विधेयक में विहित हैं, के संबंध में कुछ विधायी परिवर्तन करने का भी प्रस्ताव किया है मैं उन पर ब्यौरेवार चर्चा करके सदन का समय नहीं लेना चाहता।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कुछ वर्षों में सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क ढांचे को काफी सरल बनाया गया है। इन परिवर्तनों, जिनका मैंने प्रस्ताव किया है, 16 प्रतिशत सैनवेट से राजस्व प्राप्ति कुल मूल्यानुसार शुल्क के 85 प्रतिशत से भी अधिक होगी। आगामी दो वर्षों में इसे कम करके एक अर्थात् 16 प्रतिशत किया जा सकता है सीमाशुल्क टैरिफ में भी तीन वर्षों के समय में केवल दो मूल दरें होंगी।

अपने पिछले बजटों में मैंने कार्यविधियों को सरल बनाने का भी काफी प्रयास किया है तथापि, कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे कर प्रशासन को सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ प्राप्त करने की आवश्यकता है। हमारी कर प्रणाली को स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहित करने, करदाताओं को सक्षम सेवा प्रदान करने, अनुत्पादक कार्य हटाने और दक्षता बढ़ाने की आवश्यकता है। विवेकाधीन शक्तियों को नियम-आधारित कार्यतंत्र से प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है कर प्रशासन के इन सभी पहलुओं पर उनकी संपूर्णता में जांच करने की आवश्यकता है। मैं इन पहलुओं का व्यापक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

उत्पाद शुल्क संबंधी मेरे प्रस्तावों से वर्ष में 6700 करोड़ रुपए राजस्व लाभ होने का अनुमान है। सीमा शुल्क संबंधी मेरे प्रस्तावों

से 2200 करोड़ रुपए राजस्व हानि होने का अनुमान है तथापि, मैं अप्रत्यक्ष कर राजस्व में घट-बढ़ का पूर्वानुमान करता हूँ और यह अनुमान करता हूँ कि अगले वर्ष कुल संग्रहण 1,43,702 करोड़ रुपए होगा।

उत्पाद तथा सीमा शुल्कों में किए जाने वाले परिवर्तनों को प्रभावी रूप देने हेतु जारी अधिसूचनाओं की प्रतियों को यथा-समय संसद के सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

अब मैं प्रत्यक्ष करों से संबंधित अपने प्रस्तावों पर आता हूँ।

पिछले कई वर्षों में वैयक्तिक आय कर दरें 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 30 प्रतिशत तथा निगम कर 35 प्रतिशत रही हैं। वे युक्तिसंगत हैं और इसलिए मैंने अपने पिछले चार बजटों में उनमें परिवर्तन नहीं किया है। इस वर्ष भी मेरा उनमें परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है।

साथ ही, विशिष्ट हस्तक्षेपों की आवश्यकता की पहचान करना महत्वपूर्ण है ताकि औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। अब मैं उनका उल्लेख करता हूँ।

मैंने पहले ही औद्योगिक क्षेत्र में नए निवेश के सम्बन्ध में प्रोत्साहन मुहैया कराने की आवश्यकता बताई है। ऐसे निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु, मैं नई औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु 1 अप्रैल, 2002 को अथवा उसके बाद अधिग्रहित नए संयंत्र और मशीनरी के सम्बन्ध में 15 प्रतिशत की दर पर अथवा मौजूदा इकाइयों की संस्थापित क्षमता के विस्तार हेतु कम से कम 25 प्रतिशत तक अतिरिक्त मूल्यह्रास की अनुमति प्रदान करता हूँ।

विदेशी कम्पनियों तथा घरेलू कम्पनियों के संबंध में लागू निगम कर दरों के मध्य विषमता है। यह विषमता विगत में आंशिक रूप से अधिभार जैसे कतिपय करारोपणों के कारण देखने को मिली, जो घरेलू कम्पनियों के सम्बन्ध में लागू थीं लेकिन विदेशी कम्पनियां इससे प्रभावित नहीं थीं। इसे दूर करने के लिए मैं विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में लागू दर को 48 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

आर्थिक विकास में लघु उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इसे निरन्तर सहायता दिए जाने की जरूरत है। लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को अपने संसाधनों को बढ़ाने तथा लघु क्षेत्र को सस्ती दरों पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु, मैं "सिडबी" द्वारा जारी बांडों में निवेश की गई राशि पर आय कर अधिनियम की धारा 54 डग के तहत पूंजी लाभ छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

वर्ष 2000-2001 के बजट में, मैंने लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी स्कीम आरंभ करने की घोषणा की थी। तदनुसार ऋण गारंटी न्यास की स्थापना की गयी है। मैं इस न्यास को आयकर से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

पिछले चार वर्षों में आवास क्षेत्रक पर निरंतर जोर देते हुए, मैं स्व-अधिग्रहित भवनों के सम्बन्ध में जब तक वित्तीय वर्ष के अन्त से जिसमें कि पूंजी ऋण लिया गया था, तीन वर्षों के भीतर अधिग्रहण अथवा निर्माण की कार्रवाई पूर्ण होने तक, आवास ऋणों पर देय ब्याज के सम्बन्ध में कटौती करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करता हूँ, भले ही जहां ऐसे भवन 31 मार्च, 2003 के बाद अधिग्रहित अथवा निर्मित किए गए हों। आवास क्षेत्रक में निवेश को और प्रोत्साहन देने हेतु, मैं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी बांडों पर आयकर अधिनियम की धारा 54डग में उपलब्ध पूंजी लाभ छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

भारत में नौवहन उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर प्रतिस्पर्धी है तथा यह और विकास करने में समर्थ है। वर्ष 2000-2001 के अपने बजट में मैंने नौवहन कम्पनी के अर्जित सम्पूर्ण लाभ पर कटौती की व्यवस्था की थी बशर्ते कि कटौती की गई यह राशि प्रारक्षित निधि में रखकर नए पोतों की खरीद हेतु उपयोग में लाई जाए तथापि, ऐसी प्रारक्षित निधि में अन्तरित की जा सकने वाली राशि का कुल योग कम्पनी की चुकता शेयर पूंजी की राशि की दुगुनी राशि तक सीमित है। मैं इसे शेयर प्रीमियम प्रारक्षित निधि और सामान्य प्रारक्षित निधि को भी शामिल करते हुए इसका विस्तार करने का प्रस्ताव करता हूँ। इस प्रारक्षित निधि को बही लाभ का आकलन करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा और इस प्रकार नौवहन कम्पनियां न्यूनतम विकल्प कर (मैट) के दायरे से बाहर होंगी।

वर्तमान में, बैंकों को अपने अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के सम्बन्ध में किए गए प्रावधान के प्रति कुल आय का 5 प्रतिशत तक कटौती प्रदान करने की अनुमति दी गई है। बैंकों की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु, मैं इस भत्ते को कुल आय के 7.5 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1999-2000 के अपने बजट में, मैंने बैंकों को उनके गैर-निष्पादनकारी परिसम्पत्तियों का जो लेखा वर्ष के अन्तिम दिवस की स्थिति के अनुसार हानि अथवा संदिग्ध परिसम्पत्तियों की श्रेणी में आते हैं, 5 प्रतिशत तक कटौती करने का विकल्प प्रदान किया था, मैं इस विकल्प को 10 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ और साथ ही मैं सरकारी वित्तीय संस्थाओं की हानि अथवा संदिग्ध परिसम्पत्तियों के लिए 10 प्रतिशत तक इसी प्रकार की वैकल्पिक कटौती की अनुमति प्रदान करता हूँ।

यह निरन्तर मांग रही है कि औद्योगिक उपक्रमों की कम्पनियों के विलयन के मामलों में अग्रणी लाभ तथा पिछली हानियों के प्रतिपूर्ति को और भी क्षेत्रों में लागू किया जाए। विशेष रूप से, दूरसंचार क्षेत्र, तीव्र सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार के चरण में हैं। इसकी प्रगति को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से, मैं इस लाभ को दूरसंचार-सेवाएं उपलब्ध कराने वाली तथा धारा 80-झक के तहत कटौती हेतु पात्र कम्पनियों तक बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इस लाभ के विस्तार की जांच वित्तीय सेवा क्षेत्र सहित सेवा क्षेत्र में रत अन्य कम्पनियों में करने हेतु एक विशेषज्ञ दल के गठन का भी प्रस्ताव करता हूँ।

पर्यटन क्षेत्र को और अधिक राजकोषीय राहत उपलब्ध कराने के लिए मैं निम्नलिखित उपायों का प्रस्ताव करता हूँ:-

- अब से होटलों पर व्यय कर केवल कमरे के शुल्कों पर लागू होगा तथा प्रति दिवस 2,000 रुपए के मौजूदा प्रारम्भिक की तुलना में केवल वही देय होगा जहां ऐसे शुल्क प्रति दिवस 3,000 रुपए अथवा इससे अधिक हैं।
- होटल अथवा पर्यटन आपरेटरों से अर्जित विदेशी मुद्रा अर्जनों के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की धारा 80जजघ के तहत उपलब्ध कटौती को धारा 80जजग के अन्तर्गत निर्यातकों को उपलब्ध कटौती के अनुरूप करने के लिए बढ़ाया जाएगा।
- ऐसी इकाइयों द्वारा जो बड़े सम्मेलन केन्द्रों को स्थापित तथा संचालित करती हैं, अर्जित लाभों की 50 प्रतिशत की कटौती 5 वर्ष के लिए 80-जख के तहत प्रदान की जाएगी।

मैंने अपने भाषण के भाग क में मनोरंजन उद्योग की महत्ता पर बल दिया है इस तेजी से बढ़ रहे क्षेत्रक को और प्रोत्साहन देने के लिए मैं महानगरीय भिन्न कस्बों में बहुविध थियेटर्स का निर्माण करने वाली व चलाने वाली इकाइयों द्वारा अर्जित लाभों पर अगले पांच वर्ष तक 50 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव करता हूँ।

हमारे पर्यावरण की सुरक्षा और पुनरुज्जीवन के उपाय के रूप में मैं निम्नकोटि की वन-भिन्न भूमि पर नरम लकड़ी के पौधारोपण की परियोजनाएं चलाने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक और आर्थिक कल्याण समिति द्वारा अनुमोदित किसी कंपनी या संस्था को भुगतान की गई राशि के संबंध में आयकर अधिनियम, की धारा 35कग के अंतर्गत कर कटौती के माध्यम से प्रोत्साहन के लिए व्यवस्था का प्रस्ताव करता हूँ। इस धारा के अंतर्गत कटौती प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और वनीकरण के लिए भुगतानों के संबंध में उपलब्ध होगी।

पिछले वर्ष धारा 10(23ग) के अंतर्गत दावा करने वाले धर्मार्थ एवं धार्मिक न्यासों के साथ-साथ अन्य संस्थाओं के मामले में पारदर्शिता का दरजा सुनिश्चित करने के लिए मैंने उनके लेखे किसी स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करने की अपेक्षाओं वाले प्रावधान आरंभ किए थे, यदि उनकी प्राप्तियां एक वर्ष में 1 करोड़ रुपए से बढ़ जाती हैं। मुझे समाज विरोधी तत्वों द्वारा ऐसी सूचना के दुरुपयोग की संभावना इंगित करते हुए अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों के दृष्टिगत, मैं इस अपेक्षा को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं इनल न्यासों और संस्थाओं के संबंध में कतिपय प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव भी करता हूँ ताकि उनकी आय के किसी भाग के संग्रहण की अनुमति सिर्फ अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए हो और यह स्पष्ट करता हूँ कि अंतर-न्यास दान केवल या तो संग्रह से किए जाएं या चालू वर्ष की आय से किए जाएं।

पिछले वर्ष गुजरात में आए भूकंप के बाद मैंने कतिपय अनुमोदित धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को दिए जाने वाले दानों को 100 प्रतिशत कर कटौती की स्वीकृति दी थी जिसे 31 मार्च, 2002 तक राहत कार्य में लगाना था। चूंकि, ऐसे राहत कार्य अनेक क्षेत्रों में चल रहे हैं मैं ऐसे दान के उपयोग के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च, 2002 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2003 करने का प्रस्ताव करता हूँ।

पिछले वर्ष मैंने घरों और कारों के सिवाय, जहां सरलता के लिए विभिन्न कसौटियां अपनाई जाती हैं, नियोक्ता को उनकी लागत के आधार पर पूर्वापेक्षाओं के मूल्यांकन हेतु नियमों को तर्कसंगत बनाया था। न्यून वेतन भोगी कर्मचारियों का बोझ कम करने के लिए मैं यह व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता हूँ कि उन कर्मचारियों के मामले में जिनका कर योग्य वेतन, पूर्वापेक्षाओं को छोड़कर, 1,00,000 रुपए तक है, मूल्यांकन वर्ष 2002-2003 के लिए कोई पूर्वापेक्षाएं मूल्यांकित नहीं की जाएंगी। परवर्ती वर्षों के लिए मैं नियोक्ता को कर्मचारियों की तरफ से पूर्वापेक्षाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रस्ताव करता हूँ।

आयकर अधिनियम की धारा 89 के अंतर्गत वेतन के बकाया की प्राप्तियों के कारण किसी एक वर्ष में लागू अतिरिक्त कर भार के मामले में कर-राहत की व्यवस्था की गई है। कल्याण उपाय के रूप में मैं इस राहत की अनुमति उन मामलों में भी देने का प्रस्ताव करता हूँ जहां परिवार पेंशन बकाया में प्राप्त हुई है।

मेरे पूर्ववर्ती बजटों में मेरे द्वारा लाए गए करदाता अनुकूल उपायों की निरंतरता में, मैं आयकर अधिनियम के अध्याय XXC के उपबंधों को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ जो किसी अचल संपत्ति के अंतरण के पंजीकरण से पहले समुचित प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने की अपेक्षा करता है।

महोदय, आयकर अधिनियम में वर्तमान में उपबंधित कुछ छूटें और कटौतियां व्यर्थ हो गई हैं और संतुलित का प्रशासन के सामंजस्य में नहीं हैं, जो हमारे भारत में हैं। दसवीं योजना के लिए कर नीति और कर प्रशासन संबंधी सलाहकार दल ने ऐसी अनेक छूटों की समाप्ति की अनुशंसा की है मैंने इस दल की प्रत्येक अनुशंसा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है और इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि इन में से कुछ छूटें तो वास्तव में अनावश्यक हैं। अतः मैं इन छूटों को वापस लेने या बंद करने का प्रस्ताव करता हूँ जिनकी और आवश्यकता नहीं है।

इस सलाहकार दल ने शैक्षिक और चिकित्सा संस्थाओं सहित अनुमोदित या अधिसूचित निकायों या संस्थाओं की आय को स्वीकृत अनेक छूटों को समाप्त करने की भी अनुशंसा की है। मैं नहीं सोचता कि इन संस्थाओं और निकायों, जो सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, को प्राप्त छूटों को वापस लिया जाए। तथापि, मैं ऐसे सभी निकायों और संस्थाओं से इस अपेक्षा का प्रस्ताव करता हूँ कि प्रत्येक

वर्ष की आय की विवरणियां दर्ज करें ताकि आवधिक सत्यापन में सक्षम हुआ जा सके कि क्या निर्धारित शर्तों, जो मुख्यतया आय के प्रयोग से संबंधित हैं, का पालन किया जा रहा है और यह भी कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसी संस्थाओं के अनुमोदन या अधिसूचना को वापस लेने में सक्षम हो सके यदि वे किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन करते हुए पाए जाएं।

पिछले वर्ष मैंने नाबार्ड, राष्ट्रीय आवास बैंक और सिडबी द्वारा अर्जित आय को कर छूट की अनुमति वापस ले ली थी, क्योंकि ये संस्थाएं पुरानी हो चुकी हैं और वाणिज्यिक स्तर पर कार्य कर रही हैं। इसी कारण से मैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, प्रसार भारती और तेल उद्योग विकास बोर्ड को अनुमत छूट को इस वर्ष वापस लेने का प्रस्ताव करता हूँ।

मूल्यह्रास से संबंधित नियमों में वर्षों से किए गए विभिन्न संशोधनों ने विभिन्न प्रकार की परिसंपत्तियों की ऐसी अनेक दरें उत्पन्न कर दी हैं। इन दरों के साथ चलने की प्रासंगिकता और आवश्यकता तथा उन्हें 60 प्रतिशत की अधिकतम दर तक घटा दिया जाए, यह खुली चर्चा का विषय होना चाहिए। सुसंगत ब्यौरे वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुए मूल्यह्रास दरों की संशोधित अनुसूची अधिसूचित की जाएगी।

लाभांशों और यूनियों से आय के कराधान की वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत, कंपनी या म्यूचुअल फंड 10 प्रतिशत कर का भुगतान करती है और आय प्राप्तकर्ता को छूट प्राप्त है। यह किसी ऐसे व्यक्ति की आय पर ही कर नहीं लगाती जिससे यह संबंधित नहीं है; बल्कि यह उसके माध्यस्थ स्तर के भी प्रतिकूल है जो म्यूचुअल फंड की मूल भावना है। वर्तमान नीति में एक अंतर्निहित असमानता भी है जो उच्च-आय समूहों में व्यक्तियों को उन पर लागू दरों की तुलना में काफी कम दरों पर कर लगाने की अनुमति देती है ये मुद्दे पिछले चार वर्षों से मेरी परेशानी का कारण रहे हैं और मैं अब सतुष्ट हूँ कि विद्यमान प्रणाली को अवश्य ही जाना होगा। अतएव, मैं कंपनियों और म्यूचुअल फंडों पर उनके द्वारा वितरित लाभांश या आय पर 10 प्रतिशत वितरणकर समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ। अब से आगे ऐसे आय प्राप्तकर्ताओं पर लागू दरों पर, कर लगेगा और 10 प्रतिशत की दर पर स्रोत पर कर कटौती की शर्त के अधीन होगा। परिवर्तन के प्रभाव से बचने के लिए ऐसी आय प्राप्त करने वाली कंपनियों, उनके द्वारा वितरित लाभांशों के रूप से धनराशि के लिए कटौती का दावा करने की पात्र होंगी। मेरे द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य म्यूचुअल फंडों के इक्विटी वाले फंडों को दिए गए मेरे समर्थन को जारी रखते हुए; ऐसे फंडों के यूनिट धारकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 के दौरान प्राप्त आय पर वर्तमान के 10 प्रतिशत की दर पर ही कर लगेगा।

सभी व्यक्तियों और अविभाजित हिन्दू परिवारों को अपनी आय का एक भाग बचत के रूप में रखने को प्रोत्साहित करने के लिए

इस समय आय कर अधिनियम की धारा 88 में विनिर्दिष्ट कुछ बचत पत्रों में निवेश की गई राशि पर 20 प्रतिशत की कर राहत प्रदान की जाती है। तथापि, अधिक सीमा तक कर अदा करने वालों को विभिन्न लिखतों के माध्यम से बचत करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, मैं 20 प्रतिशत की मौजूदा दर पर इस कर राहत को केवल 1,50,000 रुपए तक की कर-योग्य आय वाले व्यक्तियों तक ही सीमित रखने का प्रस्ताव करता हूँ। 1,50,000 रुपए 5 लाख रुपए तक की कर-योग्य आय वाले व्यक्तियों को निवेश की गई राशि पर अब केवल 10 प्रतिशत की राहत प्राप्त होगी तथा 5 लाख रुपए से अधिक कर-योग्य आय पर अब कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। तथापि, 1 लाख रुपए तक की कर-योग्य वेतन आय पर 30 प्रतिशत की विशेष छूट जारी रहेगी। इसके साथ ही, जब कि निवेश की अर्हक राशियों पर मौजूदा सीमाएं अभी जारी रहेंगी, मैं कानून के अंतर्गत यह स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि जब तक निवेश की राशि वर्ष की कर-योग्य आय से कम है, तब तक वर्ष के दौरान किसी भी समय किए गए निवेश पर यह छूट दी जाती रहेगी।

इस समय, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के मुआवजे के रूप में 5 लाख रुपए तक की राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के कुछ वर्गों को कर से छूट प्राप्त है मेरा प्रस्ताव है कि इस संबंध में कतिपय राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय महत्व के अधिसूचित किए जाने वाले संस्थानों के कर्मचारियों को भी यह छूट प्रदान की जाए।

मैं कुछ प्रणालीगत परिवर्तन भी कर रहा हूँ, जिन्हें वित्त विधेयक में शामिल किया गया है।

आयकर विभाग द्वारा "सम्पर्क" नामक एक योजना को आरम्भ किया जा रहा है जिसके अंतर्गत कर दाता इंटरनेट के माध्यम से जानकारी और फार्म प्राप्त कर सकेंगे। विभाग द्वारा प्रयोक्ता-अनुकूल साफ्टवेयर उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें कर दाता अपनी आय संबंधी विवरणियां तैयार कर सकेंगे।

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावशाली प्रयोग बहुत सीमा तक स्थायी खाता संख्या (पैन) संबंधी आवश्यकताओं का कड़ाई से अनुपालन करने पर निर्भर करेगी। मैं ऐसे सभी मामलों; जिनमें विनिर्दिष्ट लेन-देनों संबंधी दस्तावेजों में फर्जी पैन संख्या का उल्लेख किया गया हो, के संबंध में 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने के लिए आय कर अधिनियम में एक विशेष प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव रखता हूँ।

1998 में मैंने मोटर कार की खरीद अथवा बिक्री तथा होटल और रेस्टोरेंट में किए गए व्यय जैसे कुछ उच्च-मूल्य वाले लेन-देनों का निर्धारण किया था जिसके अंतर्गत स्थायी खाता संख्या (पैन) का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। मेरा प्रस्ताव है कि आय कर नियमों के नियम 114-ख के अंतर्गत उल्लिखित लेन-देनों की इस सूची

में विदेश यात्रा पर 25,000 रुपए से अधिक राशि नकद खर्च करने, 50,000 रुपए से अधिक नकद राशि के बैंक ड्राफ्ट खरीदने तथा किसी भी बैंक खाते में 50,000 रुपए से अधिक नकद राशि जमा करने को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही मेरा ऐसे नियम लागू करने का भी प्रस्ताव है कि नियम 114-ख में निर्दिष्ट किसी भी लेन-देन, जो नकद रूप से किया जाए, की सूचना आय कर विभाग को एक निश्चित अवधि के भीतर दे दी जानी चाहिए।

#### अपराह 1.00 बजे

महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता हमारे लिए सर्वोपरि है इसकी कीमत हम सभी को मिल कर वहन करनी होगी। इसलिए, मेरा प्रस्ताव है कि 60,000 रुपए तक की कुल आय वाले व्यक्तियों तथा अविभाजित हिन्दू परिवारों को छोड़ कर, कर दाताओं के सभी वर्गों पर 5 प्रतिशत की दर से एक-समान मामूली अधिभार लगाया जाए। गुजरात भूकम्प के परिप्रेक्ष्य में पिछले वर्ष लगाए गए 2 प्रतिशत अधिभार को समाप्त किया जा रहा है, इसलिए इससे केवल 3 प्रतिशत के अतिरिक्त निवल कर का प्रभाव पड़ेगा। मैं आय कर अधिनियम की धारा 10क तथा धारा 10ख के अंतर्गत कतिपय यूनियों को प्रदत्त निर्यात लाभ की 100 प्रतिशत कटौती को कम करके मूल्यांकन वर्ष 2003-2004 के लिए 90 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

महोदय, अंत में, इस बजट में प्रत्यक्ष करों से संबंधित मेरे द्वारा रखे गए प्रस्तावों से 6,000 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति होगी जिसमें 2,750 करोड़ रुपए का अधिभार घटक भी शामिल है मेरा अनुमान है कि 2002-2003 में प्रत्यक्ष कर राजस्व से 91,585 करोड़ रुपए की प्राप्ति होगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुमान है कि इन प्रस्तावों से केन्द्र को कुल 1,72,965 करोड़ रुपए की कर राजस्व प्राप्तियां होंगी तथा राजकोषीय घाटा 1,35,524 करोड़ रुपए अथवा सकल घरेलू उत्पाद का 5.3 प्रतिशत होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह बजट सुधार प्रक्रिया के समेकन, विस्तारीकरण और गहनीकरण के लिए है यह विकास के प्रति समर्पित बजट है। यह भारत के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए राज्यों के साथ भागीदारी को और संवर्धित करने वाला बजट है।

अध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं इस महान सदन के समक्ष बजट प्रस्तुत करता हूँ।

अपराह 1.02 बजे

[अनुवाद]

**वित्त विधेयक, 2002\***

**अध्यक्ष महोदय :** अब मंत्री महोदय वित्त विधेयक, 2002 को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे।

**श्री यशवन्त सिन्हा :** मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

“कि वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**श्री यशवन्त सिन्हा :** मैं वित्त विधेयक पुरःस्थापित\*\* करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** वित्त विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

अपराह 1.05 बजे

[अनुवाद]

**साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से अनेक यात्रियों की मौत से उत्पन्न स्थिति के बारे में**

**अध्यक्ष महोदय :** गृह मंत्री जी, क्या आप वक्तव्य देना चाहते हैं?

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप तुरंत संक्षिप्त वक्तव्य दे सकते हैं।

**श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) :** महोदय, हम सिर्फ मंत्री महोदय का वक्तव्य सुनना चाहते हैं। . . .(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) :** गोधरा में जो कुछ हुआ, उसके बारे में गृह मंत्री जी वक्तव्य दें।

\*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड-2 दिनांक 28.2.02 में प्रकाशित।

\*\*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** इसलिए, मैंने गृह मंत्री जी को वक्तव्य देने के लिए कहा था।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** विजय कुमार मल्होत्रा जी।

**श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) :** हमने कहा था कि हम गृह मंत्री जी का वक्तव्य सुनना चाहते हैं। . . .(व्यवधान) हमें जिस बात का डर था, वही हुआ। . . .(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** शिवराज पाटील जी, यदि मैं आपको बोलने की अनुमति दूँ तो मुझे दो-तीन और सदस्यों को बोलने की अनुमति देनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने इसकी सूचना दी है।

(व्यवधान)

**श्री शिवराज वि० पाटील (लाटूर) :** अध्यक्ष महोदय, . . . .(व्यवधान) वहां स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई है। पुलिस स्थिति को काबू में नहीं कर पा रही है। . . .(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** शिवराज जी, मुझे दो-तीन सूचनाएं मिली हैं। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैं उन्हें बुलाने के बाद ही आपको बोलने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ।

**श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी) :** अध्यक्ष महोदय, हमें अभी-अभी यह खबर मिली है कि गुजरात में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। हम गृह मंत्री जी का वक्तव्य चाहते हैं। . . .(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय वक्तव्य देना चाहते हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों, कृपया बात को समझें। मुझे दो सूचनाएं मिली हैं, एक डा० विजय कुमार मल्होत्रा की ओर से और दूसरी श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई चीखलीया की ओर से। माननीय मंत्री जी के उत्तर देने से पहले वे बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी :** देश में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हम चाहते हैं कि गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दें . . .(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, अब माननीय मंत्री जी को वक्तव्य देने दीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय, कल प्रातःकाल साबरमती एक्सप्रेस गोधरा से चलकर लगभग एक कि०मी० जब आगे पहुंची, तब एक भयंकर घटना वहां पर हुई जिसके संदर्भ में आज प्रातःकाल ही बजट प्रस्तुत होने से पहले कई सदस्यों ने शोक प्रकट किया और उनको उस समय आपकी ओर से कहा गया कि बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद मैं अवसर दूंगा। इसीलिए मैं सोचता था कि शायद उनको अवसर मिलेगा। . . (व्यवधान) उसके बाद मैं इस विषय में. . . (व्यवधान) आप स्वीकार करेंगे, मैं लगातार गुजरात सरकार के और गुजरात के मुख्य मंत्री के सम्पर्क में कल से रहा हूं जब से इस घटना की सूचना प्राप्त हुई है और इसीलिए कुछ तथ्य जरूर मैं आपके सामने रखूंगा लेकिन अगर इसके बारे में चर्चा करनी है, प्रश्नोत्तर करना है तो फिर उस पर पूरा वक्तव्य मैं कल ही दे सकूंगा। . . (व्यवधान) यह आप स्वीकार करेंगे क्योंकि आज बजट का दिन था और सामान्यतः बजट के दिन और किसी विषय पर चर्चा नहीं होती लेकिन यह विषय इतना महत्वपूर्ण है, यह मामला इतना गंभीर है, . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : साधारण तौर पर आज के बजट के बाद भी इसकी अनुमति नहीं होती लेकिन क्योंकि यह एक बहुत गंभीर मामला है जिसमें 55 लोग मारे गये हैं और उसमें पुरुष और महिलाएं भी हैं। उन 55 लोगों में से 25 महिलाएं हैं और 14 बच्चे हैं, . . . (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : अध्यक्ष जी, गुजरात के मुख्य मंत्री इस्तीफा दें। . . (व्यवधान) सरकार इस्तीफा दे। सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में इस तरह की घटना हो रही है। . . (व्यवधान) सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। . . (व्यवधान) गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुंवर अखिलेश सिंह जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि आज पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है। . . (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री अखिलेश, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप बैठ जाइए। इतने सीरियस इश्यू पर आप कैसे कर रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : गुजरात सरकार ने मुझे कनवे किया है कि उन्होंने इस मामले में अदालती जांच का आदेश दिया है और एक रिटायर्ड हाई-कोर्ट जज के द्वारा यह जांच कारवाई जाएगी। . . (व्यवधान) हम अपनी तरफ से. . . (व्यवधान) मेरी जानकारी में 40 से अधिक लोग इस संदर्भ में गिरफ्तार किये गये हैं और केन्द्रीय सरकार, प्रदेश की सरकार इसकी पूरी जांच कर रही है कि यह भयंकर कांड किसने किया? क्या केवल कुछ स्थानीय तत्व इसके पीछे हैं या इसके कोई और भी पहलू हैं? हम इसकी पूरी जांच कर रहे हैं और इसीलिए अध्यक्ष जी, मैंने आपसे निवेदन किया. . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये। इस मुद्दे को गंभीरता से लीजिए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : इसकी जानकारी मिलते ही मुझे लगा कि यह मामला इतना गंभीर है कि इसकी प्रतिक्रिया कहीं भी हो सकती है। इसलिए उसी समय मैंने सभी प्रदेशों को सूचित किया कि ऐसी-ऐसी घटना गोधरा में हुई है जिसे ध्यान में रखते हुए सब जगह सावधानी बरती जाए ताकि शांति बनी रहे। साम्प्रदायिक तनाव न पैदा हो। लेकिन उसके बावजूद मेरी जानकारी में अहमदाबाद में, आनंद में तथा बड़ौदा में कल शाम को कुछ घटनायें हुई हैं। इन घटनाओं में कुल चार लोगों की मृत्यु हुई। आपकी अनुमति होगी, तो मैं विस्तार से इसकी पूरी जानकारी करके, कल सदन के पास आऊंगा और उसके सारे पहलुओं पर प्रकाश डाल सकूंगा। आज मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत बरसों में ऐसी घटनायें कभी-कभी होती हैं, लेकिन ऐसी भयंकर घटना इससे पहले शायद मुझे स्मरण नहीं आती है . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

(व्यवधान)\*

\*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष महोदय :** जी नहीं। उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। उन्हें अपना वक्तव्य पूरा करना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** निश्चित रूप से यह सदन की इच्छा कि जिन लोगों ने भी यह जघन्य अपराध किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इसको समझता हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा, इस बात को भी समझे कि प्रदेश की सरकार के मुख्य मंत्री स्वयं वहाँ पहुंच गए हैं। उन्होंने वहाँ जाकर के . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय के वक्तव्य को छोड़कर कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाये।

(व्यवधान)\*

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** अनंत गीते जी, कृपया ऐसा मत कीजिए। अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सभा में ऐसा हो रहा है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** कटियार जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** अध्यक्ष जी, इस विषय में दो मत नहीं हो सकते हैं। कोई भी शब्द इस प्रकार की घटना की निन्दा करने के लिए अपर्याप्त है। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता है कि क्यों इस प्रकार की कुछ बातें कही जा रही हैं - प्रदेश की सरकार दोनों बातों के बारे में सतर्क है एक तरफ गोधरा की घटना की तह में जाकर जो भी अपराधी हैं, उनको खोज कर उनको दंडित किया जाए और दूसरी तरफ इसके कारण कहीं पर भी साम्प्रदायिक तनाव न पैदा हो और शांति बनी रहे, इसकी भी व्यवस्था करना। ये दोनों बातें प्रदेश की सरकार करने की कोशिश कर रही है और देश भर में इसकी जो प्रतिक्रिया है, उसमें भी हम यह चाहेंगे कि साम्प्रदायिक

तनाव न पैदा हो, साम्प्रदायिक शांति बनी रहे। कुल मिलाकर के सारे हिन्दुस्तान में सब लोग, किसी भी सम्प्रदाय के हों, वे गोधरा की घटना की पूर्णतः निन्दा करें, यह हम चाहेंगे। . . . (व्यवधान) इसमें आप जो कुछ कर रहे हैं, वह सहायक नहीं होगा। यह मामला मैं समझता था कि सब ओर से एक ही स्वर में उठेगा। . . . (व्यवधान) जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उन लोगों की संख्या मैंने दी है। इनके अलावा मेरी जानकारी में 43 लोग घायल हुए हैं - जिनमें नौ महिलाएं, तीन बच्चे और 31 पुरुष हैं। बाकी जो किसी प्रकार से कल व्यवस्था हुई, प्रबंध किया गया, आगे क्या सावधानी बरती जा रही है, इन सब बातों के बारे में देश भर की जानकारी करके मैं कल सदन के पास आऊंगा, तब विस्तार से कह सकूंगा। इस बीच मैं केन्द्र सरकार और प्रदेश की सरकार की ओर से भी इस बात की जानकारी कर रहा हूँ कि इसका कोई और पहलू तो नहीं है, क्योंकि चिन्ता होती है। पिछले महीने देश में जिस प्रकार का वातावरण रहा है, उस वातावरण का कोई लाभ उठाना चाहे, ऐसी तो कोई बात नहीं? इन सब पहलुओं पर विचार करके मुझे जो भी तथ्य मिलेंगे मैं उनकी जानकारी करूँगा। मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर लोगों के मन में उद्विग्नता और क्षोभ है तो यह स्वाभाविक है और उसके बारे में माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है इसी कारण आज प्रातः काल हमारा बजट प्रारम्भ होने में भी कुछ समय लगा था। मैं अध्यक्ष जी का आभारी हूँ कि इन्होंने परम्परा से हट कर माननीय सदस्यों को और मुझे इस बात पर अपने विचार रखने का अवसर दिया। धन्यवाद। . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री शिवराज वि० पाटील :** गुजरात में स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाये, यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कोई कार्यवाही करनी होगी। हमें जानकारी मिली है कि पुलिस स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। . . . (व्यवधान) हमें गृह मंत्री जी के कल वक्तव्य देने पर आपत्ति नहीं है मैं तो यह कह रहा हूँ कि गुजरात में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है। पुलिस स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है यदि यह सच है तो कुछ न कुछ कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी। हम इस संबंध में सरकार से आश्वासन चाहते हैं। . . . (व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** इस संबंध में सभी कदम उठाये जायेंगे। जैसाकि मैंने कहा है कि मैं गुजरात सरकार से संपर्क बनाये हुए हूँ। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ शांति और सांप्रदायिक सौहार्दता बनी रहे।

**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.18 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 1 मार्च, 2002/  
10 फाल्गुन, 1923 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह  
बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

---

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।

---

---